Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 191 / 2025

कर्नल राजेन्द्र सिंह धामी — परिवादी
निवासी– 45, सैनिक कालोनी
कौलागढ़, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 30.05.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद सोलर मीटर का विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" मैं कर्नल राजेन्द्र सिंह धामी, निवासी 45, सैनिक कालोनी, कौलागढ़, मेरे घर पर सोलर पैनल स्थापित है, जिनका उदेश्य बिजली की खपत कम करना है। किन्तु विगत दो महीनों से प्राप्त हो रहे बिजली बिल उपेक्षाकृत अत्याधिक है, जो कि सामान्य खपत से कही अधिक है। सोलर सिस्टम के सुचारू रूप से कार्य करने के बावजूद इतना अधिक बिल आना समझ से परे है। इससे प्रतीत होता है कि मीटर रीडिंग प्रकिया या सोलर यूनिट एडजस्टमेंट में कोई त्रुटि हो सकती है। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे विद्युत कनेक्शन एवं मीटर की जांच*

करवाई जाए तथा बिल की पुनः गणना (रीचेक) की जाए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे शीघ्र सुधारने की कृपा करें।"

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 143 दिनांकित 11/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता कर्नल राजेन्द्र सिंह धामी, 45, सैनिक बस्ती कौलागढ़, देहरादून के विद्युत संयोजन SD16173126984 पर स्थापित मीटर की एम0आर0आई0 कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 78/वि.वि.उ.ख. वसन्त विहार दि0 18.04.2026 से सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून को लिखा गया था। जिसके उत्तर में उनके द्वारा अपने पत्र सं0 123 दि0 22.04.2026 से अवगत कराया गया है कि मीटर की एम0आर0आई0 नही हो पा रही है। उन्होंने उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित दोनों सोलर मापकों की सीलिंग प्रपत्र (चैक मापक स्थापना) एवं उसमें फाइनल करने की सीलिंग उपलब्ध कराई है (छायाप्रतियां संलग्न)। चैक मीटर सीलिंग के अनुसार चैक मीटर दि0 22.04.2026 को लगाया एवं दि0 09.05.2026 में फाइनल हुआ। (उक्त अवधि में उपभोक्ता के यहॉ स्थापित सोलर मीटर सं0 99663687 में इम्पोर्ट 196 यूनिट एवं एक्सपोर्ट 175 यूनिट दर्ज हुई है, एवं चैक सोलर मीटर सं0 99663687 में इम्पोर्ट 196 यूनिट एवं एक्सपोर्ट 175 यूनिट दर्ज हुई है, इस प्रकार उपभोक्ता की मीटर तेज चलना या जम्प होना नहीं पाया गया।")*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को विवादित अवधि हेतु प्रेषित 1877 यूनिट की खपत का बिल जारी किया गया, जिस पर परिवादी के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। परिवादी का कथन है कि विवादित बिल अवधि से पूर्व व पश्चात् में उनकी खपत सामान्य रही है तथा विवादित अवधि में प्रदर्शित खपत असामान्य एवं अप्रत्याशित है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा विपक्षी को सुनवाई के दौरान निर्देशित किया गया था कि विवादित मापक संख्या 99663688 की पूर्ण एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करे।

विपक्षी द्वारा मंच को अपनी आख्या पत्रांक सख्या 143 दिनांकित से अवगत कराया गया कि विद्युत संयोजन SD16173126984 पर स्थापित मीटर की एम0आर0आई0 नही हो पा रही है।

उक्त वाद में यह भी स्पष्ट है कि परिवादी एक रूफटॉप सोलर उपभोक्ता है तथा उसके पूर्व एवं पश्चात् के उपभोग अभिलेखों में विवादित अवधि जैसी असाधारण वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। ऐसे में बिना किसी प्रमाणित परीक्षण रिपोर्ट (एम0आर0आई0 रिपोर्ट) के केवल विवादित रीडिंग के आधार पर जारी किया गया बिल न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विवादित बिल अवधि 02/2026 की 1877 यूनिट खपत की सत्यता को तकनीकि रूप से सिद्ध करने मे असफल रहा हैं, ऐसी दशा में परिवादी को माह 02/2026 में मीटर सख्या 199663688 के आधार पर प्रेषित 1877 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 12/2025, 11/2025 एवं 10/202 की औसत खपत 303 यूनिट (571+201+137)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 02/2026 में मीटर संख्या 199663688 के आधार पर प्रेषित 1877 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के

विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रो यथा 12/2025, 11/2025 एवं 10/202 की औसत खपत 303 यूनिट (571+201+137)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मापक संख्या 99663688 को अविलंब स्मार्ट मीटर से परिवर्तित करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

वर्तमान वाद के तथ्य एवं विधिक प्रश्न भी पूर्व में निर्धारित प्रकरण से पर्याप्त रूप से समान पाए जाते हैं। अतः न्यायिक अनुशासन, समानता के सिद्धांत तथा स्थिर विधिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए मंच का मत है कि पूर्व मे स्पष्ट सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में भी समान रूप से लागू होते है। मंच को प्रस्तुत अभिलेखों पर ऐसा कोई नवीन तथ्य अथवा विधिक आधार प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे पूर्व में अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

अतः इन परिस्थितियों में विपक्षी द्वारा मेन मीटर को चैक मीटर के सापेक्ष 68.06 प्रतिशत धीमा पाये जाने के आधार पर वादी के बिल में समायोजित रू0 6,10,074.00 के निरधारण को समाप्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त विपक्षी द्वारा परिवादी पर आरोपित निरधारण रू0 6,10,074.00 को समाप्त किया जाता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा जमा की गई रू0 6,10,074.00 की राशिं को परिवादी के आगामी विद्युत बीजको में समायोजित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail -- cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 187/2025

श्री यशपाल वर्मा, — **परिवादी**
निवासी–ग्राम वपो० रूद्रपुर,
विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 15.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी यशपाल वर्मा पुत्र श्री ज्योती प्रसाद, ग्राम वपो० रूद्रपुर, तहसील विकासनगर, देहरादून में निवास करते है मैंने बिल से सम्बन्धित शिकायत पहले भी की थी उसके बाद नया मीटर लगने के बाद एक बिल माइनस में आया था, तथा दूसरा बिल 26.09.2025 से 29.01.2026 तक बिल की धनराशि 6019/–रू० की आई है लेकिन विद्युत विभाग द्वारा 18.03.2026 को जारी एक नई लिस्ट के अनुसार क्रमांक संख्या 02 पर मेरा नाम अंकित है उसमें बिल की धनराशि 43,105/–रू० है। पैतालीस हजार एक सौ पाँच रूपये मात्र है जिस लिस्ट को लेकर (J.E. साहब) लाईन मैंने कनेक्शन काटने के लिए आए है लेकिन मैंने उन्हे पिछली शिकायत के बारे में बताया तो उन्होनें मुझे एक हफ्ते का समय दिया है। अतः मेरा न्यापालिका से अनुरोध है कि लिस्ट की धनराशि/बिलकी धनराशि में काफी अन्तर है मुझे न्यायोचित बीजक प्रदान कराने की कृपा करे, ताकि मैं सुचारू बीजक का भुगतान कर मानसिक तनाव से मुक्त हो सकू, अगर विभाग द्वारा बार–बार गलती की जाती है तो विभाग पर मानहानि/मानसिक तनाव/परिवार की कलह की दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2918, दिनांकित 22/04/2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि :–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

1. *"परिवादी का संयोजन अघरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW में 26 मार्च 2007 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN11613151939 है।*
2. *परिवादी द्वारा पूर्व में वाद सं० 182/2024 एवं पत्रांक संख्या 402/उ०शि०नि०मं०/ग०क्षे०/फोरम दिनांक 07.01.2025 को मा० मंच में शिकायत दर्ज की गई थी।*
3. *मा० मंच द्वारा पत्रांक संख्या 555/ उ०शि०नि०मं०/ग०क्षे०/फोरम दिनांक 29.03.2025 के द्वारा परिवादी का बीजक संशोधित करने हेतु निर्देश दिया गया।*
4. *मा० मंच के आदेश के अनुपालन में उपभोक्ता का बीजक रू० 40,899.00 घटाये जाने थे। त्रुटिवश दो बार (दिनांक 21.06.2025 को रू० 40,899.00 एवं दिनांक 24.06.2025 को रू० 40,899.00) उपभोक्ता के संयोजन में C.C.B.R. ऋणात्मक पोस्ट हो गया था। दिनांक 06.03.2026 को संज्ञान में आने पर पुनः C.C.B.R. रू० 40,899.00 कर दिया गया।*
5. *परिवादी का विद्युत बीजक सही है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को **सुना गया एवं पत्रावली** का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रांवली पर उपलब्ध कंज्यूमर लेजर का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा त्रुटिवश दो बार (दिनांक 21.06.2025 को रू० 40,899.00 एवं दिनांक 24.06.2025 को रू० 40,899.00) परिवादी के संयोजन में C.C.B.R. ऋणात्मक पोस्ट हो गया था। दिनांक 06.03.2026 को संज्ञान में आने पर पुनः C.C.B.R. रू० 40,899.00 डेबिट कर दिया गया। परिवादी को उक्त के संबंध में सुनवाई के दौरान अवगत कराया दिया गया था। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15-5-2026 15/05/26 15/05/26

(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 182/2025

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री दौलतराम
निवासी– नजदीक छोटा काली मन्दिर
पो0ओ0 कटापत्थर तहसील विकासनगर
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 22.05.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बी.पी.एल. श्रेणी में नये एल.टी. विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री दौलतराम निवासी नजदीक छोटी काली मन्दिर कटापत्थर तहसील विकासनगर जिला देहरादून का स्थाई निवासी है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है। प्रार्थी के द्वारा एक विद्युत संयोजन हेतु बीपीएल श्रेणी में नये एल0टी0 संयोजन हेतु आवेदन पत्र 22.08.2025 को विद्युत वितरण उपखण्ड डाकपत्थर जिला देहरादून में आवेदन किया हुआ है तथा समस्त औपचारिकताए पूरी होने के उपरान्त भी प्रार्थी को आजकल–आजकल करते हुये आज तक विद्युत संयोजन नही दिया गया है*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

तथा नीचले स्तर के कर्मचारीगण के द्वारा हर दिन कहा जाता है कि कल आ जायेगे परसो आ जायेगे परन्तु 6 माह हो गये है आज भी विद्युत संयोजन नही दिया गया है जिससे प्रार्थी को अत्याधिक हानि हो रही है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा बी.पी.एल. श्रेणी में आता है उसके उपरान्त भी आज तक तंग व परेशान किया जा रहा है व विद्युत कनेक्शन नही दिया है जो घोर लापरवाही है। प्रार्थी को विद्युत रजिस्ट्रेशन सख्या 447280825002 दिया गया था जो आज तक लगा नही है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन दिये जाने एवं लापरवाह कर्मचारिगण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये जाने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2589 दिनांकित 08/04/2026 से मंच को निम्नलिखित बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है–

1. " परिवादी के द्वारा नये एल0टी0 संयोजन हेतु आवेदन पत्र 22.08.2025 को विद्युत वितरण उपखण्ड, डाकपत्थर, देहरादून में आवेदन दिया गया।

2. परिवादी की रजिस्ट्रेशन संख्या 447280825002 जो कि उपभोक्ता कंज्यूमर पेमेंट में लम्बित है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत बीपीएल श्रेणी में संयोजन अवमुक्त न किये जाने के संबंध में है. परिवादी की शिकायत के क्रम में विपक्षी द्वारा पत्र सख्या 983/वि0वि0उ0डा0/उ0पा0का0लि0 दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परिवादी के आवेदन पत्र 08/2025 के साथ संलग्न दस्तावेजों की जॉच करने पर पाया कि परिवादी द्वारा संलग्न बी0पी0एल0 कार्ड में परिवार के मुखिया

का नाम श्री दौलत राम पुत्र श्री रतनू है जिसकी वैधता दिनांक 12.12.2021 को समाप्त हो गई है। उक्त के क्रम में दिनांक 27.08.2025 को संबंधित कार्मिक द्वारा दूरभाष के माध्यम से परिवादी को बी0पी0एल0 कार्ड की वैधता समाप्त होने एवमं संयोजन का सामान्य श्रेणी में रजिस्ट्रेशन हेतु अवगत कराया गया ,जिस पर परिवादी द्वारा रजिस्ट्रेशन करने हेतु मना किया गया था, एवं दिनांक 28.08.2025 को परिवादी द्वारा स्वंय अवर अभियन्ता, डाकपत्थर को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनके आवेदन को सामान्य घरेलू श्रेणी में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाये। तद्नत्सुर संबंधित कार्मिक द्वारा दिनांक 28.08.2025 को आवेदन पत्र का रजिस्ट्रेशन सं0 447280825002 सामान्य श्रेणी में किया गया जो वर्तमान में कंज्यूमर पेमेंट में लम्बित है।

मंच द्वारा परिवादी को विभिन्न सुनवाई तिथियों की सूचना पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई परन्तु परिवादी किसी भी सुनवाई तिथि में मंच के सन्मुख उपस्थित नहीं हुआ। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या का संज्ञान लिया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा आवेदन पत्र 08/2025 मे आवेदन की गई श्रेणी की पात्रता पूर्ण नहीं की गई जिस कारण परिवादी को उक्त श्रेणी में विद्युत संयोजन अवमुक्त नहीं किया गया।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है परिवादी द्वारा आवेदन दिनांक 28.08.2025 के क्रम में नियामानुसार कार्यवाही किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा आवेदन दिनांक 28.08.2025 के क्रम में नियामानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार

का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

22/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/5/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 178/2025

श्री मुरलीधर बहुगुणा, — परिवादी
निवासी– 198, धर्मपुर,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 12.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी मुरली धर बहुगुणा, उपभोक्ता संख्या CD67126098880 , निवसी– 198, धर्मपुर देहरादून UPCL विभाग का उपभोक्ता हूँ। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान फरवरी 2025 तक किराये पर दी हुई थी। फरवरी 2025 मे किरायेदार द्वारा दुकान खाली कर दी गई थी, जिसके बाद दुकान बंद रही। इसके बावजूद विभाग द्वारा लगातार बिजली के बिल जारी किए जाते रहे, जैसा कि बिलिंग हिस्ट्री में भी उल्लेखित है। विभाग का कोई भी कर्मचारी प्रार्थी के परिसर में मीटर रीडिंग लेने नही आया तथा मीटर रीडिंग लेते समय कभी भी प्रार्थी को कोई भौतिक बिल उपलब्ध नही कराया गया। इस कारण प्रार्थी को यह जानकारी नहीं हो सकी कि उसके मीटर की वास्तविक रीडिंग क्या है तथा बिल कितना बन रहा है। नवंबर 2025 में प्रार्थी का मीटर जल गया अथवा खराब हो गया। इसके पश्चात विभाग द्वारा एक साथ अत्यधिक राशि का बिल प्रार्थी को दे दिया गया, जो वास्तविक खपत के अनुरूप प्रतीत नही होता। अतः आपसे निवेदन है कि यदि मीटर जलने/खराब होने से पूर्व मीटर में कोई रीडिंग डेटा अथवा रिकॉर्ड उपलब्ध हो तो उसे विभागीय माध्यम से प्राप्त कर वास्तविक रीडिंग का पता लगाया जाए तथा*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उसी के आधार पर सही खपत निर्धारित की जाए साथ ही प्रार्थी के बिलिंग की जाँच कर अनुमानित अथवा गलत बिलिंग को संशोधित करते हुए सही बिल जारी करने की कृपा की जाए।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4808, दिनांकित 09/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उक्त परिवाद संख्या 178/2025 के शिकायतकर्ता श्री गुरलीधर बहुगुणा द्वारा संयोजन संख्या CD67126098880 का विद्युत बिल संशोधन के सन्दर्भ में वाद दर्ज कराया गया है के सम्बन्ध में माननीय मंच को अवगत कराना है कि वादी के विद्युत बिल दिनांक 21.06.2025 तक रीडिंग के आधार पर बने है एवं दिनांक 21.06.2025 के बाद वादी का मीटर खराब होने के कारण दिनांक 21.06.2025 से 16.02.2026 तक आई०डी०एफ० मे निर्गत किये गये है, वादी द्वारा दिनांक 15.01.2025 तक के बिल का भुगतान दिनांक 11.02.2025 को रू० 6892.00 तक किया गया था। दिनांक 24.02.2026 को वादी का खराब मीटर बदल कर नया स्मार्ट विद्युत मीटर लगा दिया गया है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 4954, दिनांकित 07.05.2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि वादी के विद्युत बिल दिनांक 21.06.2025 तक रीडिंग के आधार पर बने है एवं दिनांक 21.06.2025 के बाद वादी का मीटर खराब होने के कारण दिनांक 21.06.2025 से 16.02.2026 तक आई०डी०एफ० मे निर्गत किये गये है, वादी खराब मीटर बदलकर नया स्मार्ट विद्युत मीटर लगा दिया गया है एवं विभागीय नियमानुसार वादी का पिछले 03 बिल चक्रो (03/2025, 05/2025, एंव 06/2025) के आधार पर CCBR के माध्यम से बिल संशोधन कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुनवा गया एव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 21.06.2025 से 24.02.2026 अर्थात् (248 दिनो) में कुल 02 IDF बिल जारी किये गये, जबकि नियमानुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र मे विद्युत बिल जारी किया जाना चाहिए, यदि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 21.06.2025 से 24.02.2026 अर्थात् (248 दिनों) में नियमानुसार विद्युत बिल

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जारी किया जाते तो कुल 8 बिल जारी किये जाने चाहिए थे, जबकि विपक्षी द्वारा इस पूरी अवधि में मात्र 2 बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.2.1(7) बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.2.1(7) "Provisional billing (NA/NR/IDF/ADF/RDF billing based on average consumption) shall not be for more than two billing cycle. In case meter is rendered inaccessible for two consuctive billing cycle, action as per Clause (7) of Sub-Regulation 5.1.2 shall be enforced" उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 21.06.2025 से 24.02.2026 तक प्रस्तुत संशोधित विद्युत बिल को निरस्त किया जाता है और विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को दिनाक 21.06.2025 से 24.02.2026 अर्थात् 8 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 6 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत संशोधित विद्युत बिल गणना शीट अवधि दिनांक 21.06.2025 से 24.02.2026 को निरस्त किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 21.06.2025 से 24.02.2026 अर्थात् 8 बिल चक्रों में प्रेषित आई०डी०एफ० बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 6 विद्युत बिलो को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों मे केवल फिक्स चार्ज लिये जाने के आधार पर ही विद्युत बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं** होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में **अपील कर सकता** है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

12/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

12/05/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 180 / 2025

मौ0 साबिर पुत्र स्व मौ0 वाजिद — **परिवादी**
निवासी– ग्राम वपो0, केदारवाला
विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 21.05.2026

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत संयोजन विच्छेदित किये जाने के सम्बन्ध मे योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *प्रार्थी श्री वाजिद पुत्र जीजूदीन, केदारवाला, विकासनगर, देहरादून में निवासरत है। हम ने बिल से सम्बन्धित कार्यवाही हरबर्टपुर एवं विकासनगर विद्युत कार्यालय में की है, परन्तु उस के बावजूद दिनांक 25.02.2026 में हमारा कनेक्शन काट दिया गया है तब से हम अंधेरे में रहते है। हमारे बच्चों को पढाई करने मे भी दिक्कत उठानी पड़ रही है जबकि पहले बीजकों का समय से भुगतान करते आ रहे है। मैं ग्रामीण*

क्षेत्र का निवासी हूँ तथा मजदूरी करके परिवार का भरण–पोषण करता हूँ। अतः महोदय मुझे न्यायपूर्वक बिल सही करवाने एवं मेरा कनेक्शन जुड़वाने की कृपा करें। "

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता (रा0) ने आख्या पत्रांक 2588 दिनांकित 08/04/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है–

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-11/Life Line Below Poverty Consumers 10 अक्टूबर 2010 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN11613476311 है।*
2. *परिवादी के द्वारा विद्युत बीजक का भुगतान अन्तिम बार 11.02.2025 को किया गया।*
3. *परिवादी का बिल बकाया होने के कारण विच्छेदित कर दिया गया।"*

उक्त के सन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता (रा0) ने आख्या पत्रांक 2916 दिनांकित 22/04/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"सहायक अभियन्ता,परीक्षणशाला (मापक), विकासनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के यहां लगे हुए मीटर (मीटर सं0 186979) की कई बार प्रयास करने के पश्चात भी की MRI उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा था। परन्तु दिनांक 17.01.2025 से 30.09.2025 अर्थात् 256 दिनों (लगभग 5 बिल चक्रों) में 9552 (27390–17838) यूनिट अर्थात् 37

यूनिट प्रतिदिन (9552/256) के कुल रू0 71482.00 धनराशि के विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में किसी भी बिल चक्र में नहीं रही है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री में चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया जिससे मंच के संज्ञान मे आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर दिनांक 12.11.2025 को मीटर संख्या संख्या GU364403 स्थापित किया था जिसे दिनांक 03.12.2025 को फाईनल किया गया, चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट में चैक मीटर द्वारा उक्त अवधि में 44 यूनिट की खपत का अंकन किया गया एवं स्थापित मीटर (186974) द्वारा उक्त अवधि में 51 यूनिट की विद्युत खपत का अंकन किया गया जिस से यह सिद्ध हो जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक वास्तविक विद्युत खपत का 16 प्रतिशत अधिक अंकन कर रहा है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.3(10)(a) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.3(10)(a) "Fast beyond limits specified by Bureau of Indian Standards (BIS), the Licensee shall replace/rectify the defective meter within 15 days of testing. The Licensee shall adjust/refund the excess amount collected on account of the said defect, based on percentage error, for a maximum period of 12 months or less depending on period of installation of meter or previous testing date prior to the

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

date of consumers's complaint and up to the date on which defective meter is replaced/rectified" उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के दिनांक 02.12.2024 से मीटर बदले जाने की तिथि तक के विद्युत बिलों को माननीय UERC के उपरोक्त रेगुलेशन के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसार पर स्थापित मीटर संख्या 186979 को अविलंब परिवर्तित किया जाना सुनिश्चित करें और दिनांक 02.12.2024 से मीटर बदले जाने की तिथि तक के बिलों को माननीय UERC के उपरोक्त रेगुलेशन के अनुसार संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21-5-2026	21/05/26	21/05/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 174/2025

श्रीमती अनुपमा, — परिवादी
निवासी–बंजारावाला, नियर देहरा,
पब्लिक इण्टर कॉलेज, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 05.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत भार वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं अनुपमा ने 19 दिसम्बर को सोलर प्लॉन्ट लगवाया वेन्डर राजेश (Renewable Engergy Solutions) से फिर बाद में 3kw से 5kw का मीटर लगवाया गया पर 3kw से 5kw का वोल्टेज नहीं बढा आज तक हमारा सोलर प्लॉन्ट शुरु नहीं इसमें न वेन्डर राजेश की मदद है न विद्युत विभाग से दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे है, हमने सोलर प्लॉन्ट के वेन्डर राजेश को दो बार पेमेन्ट दिया पहली बार 1 लाख एडवांस फिर 26 दिसम्बर 2026 को 1 लाख 15 हजार दिये उनके विश्वास पर कि सोलर प्लॉन्ट शुरु होगा। इसकी वजह से हम बहुत परेशान है अथवा हमें तीन माह का नुकसान झेलना पड रहा है। कृपया इस समस्या का समाधान करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 263, दिनांकित **20/03/2026** से मंच को **अवगत कराया है** *"कि आवेदक द्वारा अपने सयोजन संख्या– SD15705109185 के सापेक्ष दिनांक 03.12.2025 को लोड बढाने हेतु आवेदन किया गया, दिनांक 19.12.2025 को अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या प्रेषित की गई जिसे दिनांक 23.12.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके पश्चात दिनांक*

02.01.2026 को उपभोक्ता द्वारा विद्युत भार वृद्धि हेतु धनराशि जमा की गई। साथ ही दिनांक 23.01.2026 को उपभोक्ता के परिसर पर मीटर भी स्थापित करा दिया गया परन्तु विद्युत भार वृद्धि प्रक्रिया Application Programming Interface के अन्तर्गत आर०ए०पी०डी०आर०पी० एवं मै० जीनस के पोर्टल पर लम्बित है जिस कारण उपभोक्ता के संयोजन का विद्युत भार साईट पर भौतिक रूप से निर्गत होने के बावजूद पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 414, दिनांकित 02.05.2026 **से मंच को अवगत कराया है** *"कि आवेदक द्वारा अपने संयोजन संख्या– SD15705109185 के सापेक्ष दिनांक 03.12.2025 को लोड बढाने हेतु आवेदन किया गया था। दिनांक–07.04.2026 उपभोक्ता को वांछित लोड (05 कि०वा०) पर विद्युत बिल प्रेषित कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त के सन्दर्भ में मंच द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कंज्यूमर लेजर का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक–07.04.2026 को वांछित लोड (05 कि०वा०) पर विद्युत बिल प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत भार वृद्धि संबंधी शिकायत का निवारण दिनांक 07.04.2026 को विद्युत भार वृद्धि कर, कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

5-5-2026 | 05/05/26 | 05/05/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 176/2025

श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र स्व0श्री प्यारे लाल, — परिवादी
निवासी–हरवंशवाला, नीलवाला,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 29.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत भार वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी हरवंशवाला का निवासी है प्रार्थी के पिता प्यारे लाल के नाम से विद्युत संयोजन है जिसकी संयोजन संख्या 40100934126 है प्रार्थी के उक्त संयोजन का बिल वर्ष 2026 मई से पूर्व प्रत्येक माह का लगभग 200/– आता था प्रार्थी के उक्त संयोजन का मीटर उतार कर विभाग द्वारा मई 2025 में स्मार्ट मीटर लगाया गया है जिसका बिल 24 अगस्त 2025 में प्रार्थी के मोबाईल पर 62096/– रूपये का बिल प्राप्त हुआ प्रार्थी द्वारा मई 2025 तक का बिल जमा कर रखा है प्रार्थी द्वारा गणेशपुर सब–स्टेशन पर इसके सम्बन्ध मे बताया तो उन्होने कहा कि तुम्हारा पुराना मीटर ढूंढ कर देख लेगे। किन्तु उनसे प्रार्थी द्वारा कई बार सम्पर्क करने उपरान्त आज दिनांक तक प्रार्थी की समस्या पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है प्रार्थी का दो कमरे का मकान है प्रार्थी अत्यधिक गरीब व्यक्ति है प्रार्थी मजदूरी का कार्य करता है। अतः श्रीमान् जी से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी की समस्या का संज्ञान लेते हुये उक्त संयोजन के बिल को ठीक कराने की कृपा करें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 6023, दिनांकित 20/03/2026 से मंच को अवगत कराया है "*कि संयोजन सख्या MP12114010722, नाने श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री प्यारे लाल निवासी– हरबशवाला, नीलवाला, देहरादून के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 5551 दिनांक 27.10.2025 एवं पुनः पत्रांक 5675 दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से उपभोक्ता के विद्युत बिल अधिक आने के सम्बन्ध मे कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering Pvt. Ltd. को मीटर उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया था, जिसके सापेक्ष मीटर की एम.आर.आई. करा कर समस्या का निराकरण किया जा सकें। परन्तु कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering Pvt. Ltd. द्वारा आतिथि तक भी मीटर उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। जिसके कारण उक्त समस्या करने मे विलम्ब हो रहा है।*"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें. जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा था। विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर दिनाक 15.05.2025 को नये स्मार्ट मीटर से बदल दिया गया। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि पुराना मीटर उतारते समय उक्त विवादित मापक की रीडिंग 10710 यूनिट दर्शायी गई है, अर्थात् विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा 54 दिनों मे (दिनांक 23.04.2025 से दिनांक 15.05.2025 तक) 7924 (10710–2786) यूनिट की विद्युत खपत की है, जो कि 146.74 अर्थात् 147 यूनिट प्रति दिन होती है। परिवादी को उक्त दर्शायी गई खपत पर आपत्ति है क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

मंच द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी को निर्देर्शित किया गया था कि विवादित मापक सख्या U796177 की पूर्ण एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच मे प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी के उक्त मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत किये जाने हेतु असमर्थता व्यक्त की गई।

परिवादी के स्वीकृत 1 किलोवाट विद्युत भार के घरेलू संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 147 यूनिट प्रतिदिन की खपत मच स्वीकार नहीं कर सकता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उक्त से मंच का मत है कि परिवादी को माह 07/2025 में पुराने मीटर संख्या U796177 के आधार पर प्रेषित 7924 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रो यथा 04/2025, 03/2025 एवं 02/2025 की औसत खपत 142 यूनिट (51+62+87)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 07/2025 मे पुराने मीटर संख्या U796177 के आधार पर प्रेषित 7924 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियन *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 04/2025, 03/2025 एवं 02/2025 की औसत खपत 142 यूनिट (51+62+87)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित करें तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत यथावत रहेगी। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

29/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स 0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 177/2025

श्रीमती रूचि देवी पत्नी श्री टीका राम, — परिवादी
निवासी–रानीपोखरी, लिस्ट्राबाद,
घमडपुर डोईवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.05.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत मीटर तेज चलने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं रूचि देवी, (रानीपोखरी, लिस्ट्राबाद, घमंडपुर) कि निवासी हूँ। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे घर का बिजली मीटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है।*

मीटर की समस्या: मीटर बहुत तेज चल रहा है।

इस समस्या की वजह से मुझे सही बिल नहीं मिल पा रहा है। आपसे निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द इस मीटर की जाँच करवाएं और इसे नए मीटर से बदलवाने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में **विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या** पत्रांक 1345, दिनांकित 22/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर चैक मीटर हेतु किये गये पंजीकरण (पंजीकरण संख्या–22104260809) के सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 22.04.2026 को आवश्यक शुल्क जमा कर दिया गया है। जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता के परीसर पर दिनांक 22.04.2026 को चैक मीटर लगा दिया गया है। चैक मीटर फाइनल होने के उपरान्त प्रकरण में विभागीय नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या दिनांक 08.05.2026 के माध्यम से अवगत कराया कि परिवादी की मीटर की जॉच कराए जाने संबंधि शिकायत का समाधान चैक मीटर स्थापित कर कर दिया गया है, चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट दिनांकित 01 05.2026 के अनुसार परिवादी के चैक मीटर एवं मैन मीटर द्वारा उक्त अवधि में एक समान 39 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत मीटर जॉच कराए जाने संबंधी शिकायत का निवारण चैक मीटर स्थापित कर कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियामानुसार सही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद निस्तारित किया जाता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 84662570 को स्मार्ट मीटर से परिवर्तित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 169/2025

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द,
निवासी–बनियावाला, आरकेडियाग्रांट,
प्रेमनगर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 12.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन मे जमा की गयी धनराशि मु०रू० 22,300/– वापिस लेने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी विपिन कुमार पुत्र प्रेमचन्द, निवासी–बनियावाला, आरकेडियाग्रांट, प्रेमनगर, देहरादून का निवासी है तथा प्रार्थी द्वारा आपके विभाग से घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया गया था तथा आपके विभाग में उक्त कनेक्शन हेतु प्रार्थी मु०रू० 22,300/– (बाईस हजार तीन सौ रूपये) जमा किये गये तथा विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी को सर्विस कनेक्शन सख्या–531100824012 जिसकी रसीद संख्या–34531090924120600005 है प्रार्थी को प्रदान किया गया है तथा विद्युत विभाग द्वारा अब तक उपरोक्त विद्युत कनेक्शन में मीटर नहीं लगाया गया है जिस कारण प्रार्थी उक्त बिजली कनेक्शन का लाभ प्राप्त नहीं कर सका है जिस कारण प्रार्थी उपरोक्त जमा की गयी धनराशि मु०रू० 22,300/– (बाईस हजार तीन सौ रूपये) को वापिस लेना चाहता है। अतः महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त कनेक्शन में मीटर लगाया जाये जिससे प्रार्थी*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त कनेक्शन का उपयोग/ उपभोग कर सके अन्यथा प्रार्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि मु०रू० 22,300/– (बाईस हजार तीन सौ रुपये) प्रार्थी को मय ब्याज वापिस करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 845, दिनांकित 20/03/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्री विपिन कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द, निवासी– पिताम्बरपुर, बनियावाला नये विद्युत संयोजन का रजिस्ट्रेशन संख्या 531100824012 में एल०टी० विद्युत लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया था। मैसर्स टी स्टेट के द्वारा विवाद किया गया जिससे विद्युत मीटर स्थापित नहीं किया गया था। उपरोक्त प्रकरण का विवरण निम्नवत् है:–*

1. *श्री विपिन कुमार को नया विद्युत संयोजन तीन गुना जमानत धनराशि पर दिया गया था। दिये गये शपथ पत्र की छायाप्रति सलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें उपभोक्ता द्वारा बिन्दु संख्या 4 में वाद–विवाद मुकदमा आदि तथा भविष्य में सम्पत्ति पर कोई भी वाद–विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी ली गयी है।*
2. *नया विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न है। कृपया प्राक्कलन का अवलोकन करने का कष्ट करे। श्री विपिन कुमार को नया विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु विद्युत सामग्री–(30780+20756) = रू० 51536.00 की धनराशि एव लेबर चार्ज की धनराशि रू० 20588.00 अर्थात विद्युत लाईन निर्माण में विभाग द्वारा कुल धनराशि रू० (51536.00+20588) = 72124.00 धनराशि व्यय की गयी है।*

   अतः श्री विपिन कुमार द्वारा विद्युत विभाग को धनराशि रू० 72124.00 की हानि करायी है। जिससे श्री विपिन कुमार की कोई भी धनराशि वापिस नहीं की जा सकी है। आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा अपने आदेश वाद सख्या 25/2025 दिनांक 30.08.2025 में परिवादी को विद्युत संयोजन अवमुक्त किये जाने हेतु विपक्षी को आदेशित किया गया था, परन्तु उक्त आदेश को माननीय् विद्युत ओम्ब्डसमैन 80, वसंत विहार, देहरादून द्वारा अपने आदेश 45/2025 दिनांक 11.02.2026 द्वारा खारिज करते हुए विद्युत संयोजन अवमुक्त किये जाने में रोक लगा दी गई है। शिकायती पत्र में परिवादी का यह कथन है कि यदि उन्हे विद्युत संयोजन अवमुक्त नहीं किया जाता है तो उन्हे उनके द्वारा इस हेतु जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि रू0 22,300.00 को मय ब्याज वापिस किया जाये। मंच का मत है कि परिवादी माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **Supply Code, 2020** के विनियम **3.3.2** में उल्लेखित नये संयोजन

प्राप्त करने हेतु कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा जिस कारण विपक्षी द्वारा उक्त विनियम के विनियम **3.3.2 (4)(a)** के प्रथम परन्तुक के अनुपालन में तीन गुना धरोहर राशि जाम करा कर विद्युत संयोजन निर्गत हेतु कुल रू0 22,300.00 चार्ज किये गये जिसके क्रम में संबंधित विद्युत लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया जिसमें विपक्षी के अनुसार उनके द्वारा लगभग रू0 72,124/– व्यय किये गये केवल विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन अवमुक्त किया जाना था, जिसकी पुष्टी परिवादी द्वारा भी की गई है। विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत संयोजन के आवेदन पत्र की छायाप्रति भी मंच के सम्मुख प्रस्तुत की गई जिसमें परिवादी द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी के कथन का स्पष्ट उल्लेख है कि **"उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में कोई भी वाद–विवाद**, मुकदमा आदि **नहीं है, भविष्य में उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पर कोई भी वाद–विवाद पाया जाता है तो इसकी पूर्ण** जिम्मेदारी मुझ शपथकर्ता की होगी"

वर्तमान समय में माननीय् ओम्बड्समैन द्वारा अपने आदेश संख्या 45/2025 दिनांक 11.02.2026 द्वारा इस मंच के आदेश को खारिज करते हुए विद्युत संयोजन अवमुक्त किये जाने में रोक लगा दी गई है। परिवादी के उपरोक्त वर्णित शपथपत्र एवं माननीय् ओम्बड्समैन के उपरोक्त आदेश के आलोक में मंच का मत है कि इस पूर्ण स्थिति के लिये परिवादी ही जिम्मेदार है। मंच का मानना है कि परिवादी द्वारा जमा की गई कुल धनराशि रू0 22,300.00 में से केवल जमानत धनराशि ही वापिस किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियो उपरांत उक्त वाद खारिज किया जाता है, एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा जमा की गई कुल धनराशि रू0 22,300.00 में से केवल जमानत धनराशि ही वापिस की जाये। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश** प्राप्ति के **30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील** कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

12/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

12/05/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 170/2025

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द
निवासी– बनियावाला, आरकेडियाग्रांट
प्रेमनगर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 06.05.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थी विपिन कुमार पुत्र प्रेमचन्द, निवासी–बनियावाला, आरकेडियाग्रांट, प्रेमनगर देहरादून, महोदय जो कि मेरा कनेक्शन नं0 42500265919 है जो कि महोदय मेरी दुकान तकरीबन 06 माह से बंद है, इससे पहले मेरा विद्युत बिल 181 रू0 प्रति माह आता था अब मेरा विद्युत बिल 3613 रू0 आया है जो कि मेरा विद्युत बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है। अतः महोदय मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसमें जल्द से जल्द ध्यान देने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 843 दिनांकित 17/03/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " उपभोक्ता श्री विपिन कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी– पिताम्बरपुर बनियावाला विद्युत संयोजन संख्या MP62103778879R तथा स्वीकृत विद्युत भार 01 Kw, का विवरण निम्नवत् है–:

1. माह 11/2025 का विद्युत बिल मीटर संख्या GU194528 की MRI रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग 436 Kwh तथा MD=3.15 के अनुसार विद्युत खपत 294 यूनिट के अनुसार विद्युत बिल की धनराशि रू0 3156.00 सही है।''

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकयती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या का मंच द्वारा अवलोकन किया गया। आख्या के अवलोकन उपरान्त मंच का मत है, पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट एवं चैक मीटर फाईनल प्रपत्र संख्या 033 बुक संख्या 036 से स्पष्ट है कि परिवादी का वर्तमान विद्युत मापक संख्या GU194528 सही प्रकार कार्य कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता हैं। इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

6-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

06/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

06/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 172/2025

श्री ईशान घिल्डियाल
निवासी– 25, पटेल रोड,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 12.05.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"हमारा बिजली का बिल जो मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती बसन्त कुमारी पत्नी स्वर्गीय श्री जगत प्रसाद घिल्डियाल के नाम से है। यह 25 पटेल रोड के अन्तर्गत आता है। दादी के स्वर्गवास के उपरान्त यह मकान उनके पुत्र श्री मदन मोहन घिल्डियाल एवं पौत्र श्री ईशान घिल्डियाल पुत्र स्वर्गीय बेनी प्रसाद घिल्डियाल के नाम पर स्थानान्तरित है। यह पत्र इसमें सलंगित है। अभी यहां पर न रहने की वजह से बिजली का उपयोग शून्य है, जिस पर कुछ साल पहले बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिया गया वर्ष*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2024 में पुनः कनेक्शन करवाया बिल बिना उपयोग के अधिक होने के कारण बार–बार विद्युत विभाग धामावाला विद्युत विभाग सर्वे चौक में आपत्ति दर्ज कराई गयी थी। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गइ है। इसमें प्रार्थना पत्र सलंगित है। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि कृप्या समस्या का शीघ्र समाधान करने की तथा गलत बिल को सशोधित करने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 153 दिनांकित 20/03/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " विद्युत संयोजन संख्या CD27321026657 का दिनांक 12.07.2024 से दिनांक 11.09.2024 तक IDF होने के कारण सिस्टम द्वारा IDF का विद्युत बिल निर्गत हुआ था, जो कि उपभोक्ता के विद्युत भार के हिसाब से Normative Units का बिल सिस्टम द्वारा निर्गत हुआ था।"

उक्त के सन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 205 दिनांकित 18/04/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " विद्युत संयोजन सख्या CD27321026657 का विद्युत बिल संशोधित कर प्रेषित किया जा रहा है।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बिल संशोधन कर दिया गया है, जो कि सशोधन पश्चात् ऋृणात्मक (–) रू0 1431.00 हो गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधन कर कर दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश*

12-5-2026	12/05/26	12/05/26
(सुन्दरी गैरोला देवली) न्यायिक सदस्य	(दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य	(रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 173/2025

कमांडेंट मुख्यालय
निवासी– ईएसएसटी 22, 56 ए0पी0ओ0
एम0टी0पॉइन्ट, चकराता, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 12.05.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding excess payment imposed by the respondent i.e UPCL

The Complainant submits and prays as under:-

1. *"It is intimated that excess payment on fwg connections has been imposed by UPCL for the period from 31 Dec 2025 to 31 Jan 2026 as per details given below:-*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

S.no	Account No	Location	period	current bill Amount	Current LPS/Adv bill LPS Amount	Adjustment Amount from RTS-2 to RTS-6 (Mixed Load)	Total Amount Due for current month
1	40100085943	Power House	31/12/25 31/01/26	11,98,550.70	1,56,184.88	1,25,03,609	1,38,58,345.00
2	40100026734	MT Point, Chakrata	31/12/25 31/01/26	9,07,290.00	51,054.70	40,90,329.00	50,48,674.00
3	40100026637	Kailana point, 3 Vikas	31/12/25 31/01/26	9,55,365.00	35,769.75	28,67,789.00	38,58,924.00
4	40100026971	Tandwa Point, SFF Academy	31/12/25 31/01/26	4,76,232.30	20,970.46	16,80,198.00	21,77,401.00
TOTAL				35,37,438.00	2,63,979.79	2,11,41,925	2,49,43,344.00

2. *The excess payment has been imposed by UPCL based on the evaluation of connections from RTS-2 to RTS-6 (Mixed load category). However, this organization is a govt organization which does not comes under the MES.*

3. *It is brought out to your attention that earlier a survey was carried out by UPCL, Chakrata Division as per direction of Executive Engineer office Vikasnagar and as per survey report, it is apparent that predominant load in this AOR is of Govt*

Organisation and institutions which falls under the category of RTS-2 (Non Domestic). Load survey report is attached for your refrence please.

4. *Hence, it is requested to intervene into the matter and take necessaey action for settlement of the above mentioned bills.*
5. *An early action is requested please.*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1900 दिनांकित 14/03/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है :–

1. *" उपभोक्ता का संयोजन संख्या VN0K000000245, Load : 295 KVA की बिलिंग RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) में की जा रही थी। दिनांक 01.01.2026 को उपभोक्ता की श्रेणी RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) से RTS-6 (Mixed Load) में परिवर्तित की गयी, जिस कारण उपभोक्ता का दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31.12.2025 तक RTS-6 (Mixed Load) की दर से बीजक बनाकर, अन्तर बीजक की कुल धनराशि रूपये 28,67,789.00 को उपभोक्ता के बीजक में जोड़ा गया।*
2. *उपभोक्ता का संयोजन संख्या VN0K000000246, Load: 250 KVA की बिलिंग RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) में की जा रही थी। दिनांक 01.01.2026 को उपभोक्ता की श्रेणी RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) से RTS-6 (Mixed Load) में परिवर्तित की गयी, जिस कारण उपभोक्ता का दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 31.12.2025 तक RTS-6 (Mixed Load) की दर से बीजक बनाकर, अन्तर बीजक की कुल धनराशि रूपये 40,90,329.00 को उपभोक्ता के बीजक में जोड़ा गया।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. *उपभोक्ता का संयोजन संख्या VN0K000000248, Load: 177 KVA की बिलिंग RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) में की जा रही थी। दिनांक 01.01.2026 को उपभोक्ता की श्रेणी RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) से RTS-6 (Mixed Load) में परिवर्तित की गयी, जिस कारण उपभोक्ता का दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 31.12.2025 तक RTS-6 (Mixed Load) की दर से बीजक बनाकर, अन्तर बीजक की कुल धनराशि रूपये 16,80,198.00 को उपभोक्ता के बीजक में जोड़ा गया।*

4. *उपभोक्ता का संयोजन संख्या VN0K000000937, Load: 471 KVA की बिलिंग RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) मे की जा रही थी। दिनांक 01.01.2026 को उपभोक्ता की श्रेणी RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) से RTS-6 (Mixed Load) में परिवर्तित की गयी, जिस कारण उपभोक्ता का दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 31.12.2025 तक RTS-6 (Mixed Load) की दर से बीजक बनाकर, अन्तर बीजक की कुल धनराशि रूपये 1,25,03,609.00 को उपभोक्ता के बीजक में जोड़ा गया।"*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2604 दिनांकित 10/04/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है :–

1. *"मै0 कमाण्डेन्ट, ईएसटी संख्या–22, 56 ए0पी0ओ0, चकराता के 04 नं0 विद्युत संयोजनों के स्वीकृत भार की वर्तमान श्रेणी RTS-6 (Mixed Load) है।*

2. *आन्तरिक सम्प्रेक्षा द्वारा उक्त विद्युत संयोजनों की बिलिंग RTS-6 (Mixed Load) में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।*

3. मै0 कमाण्डेन्ट, ईएसटी संख्या–22, 56 ए0पी0ओ0, चकराता के 04 नं0 विद्युत संयोजनों की बिलिंग माह 07/2024 से माह 12/2025 तक बिलिंग RTS-2 (Govt. Officers/Charitable) में की गयी, जिस कारण सम्बन्धित विद्युत संयोजनों का दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31.12.2025 तक RTS-6 (Mixed Load) की दर पर निर्धारण किया गया।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच का मानना है कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एम.ई.एस) कनेक्शन मुख्य रूप से थोक विद्युत आपूर्ति श्रेणी में आते है। एम.ई.एस एक मानद लाइसंसधारी के रूप में कार्य करता है, जो राज्य डिस्कॉम से उच्च वोलटेज (11 के0वी0, 33के0वी0 या उससे अधिक) पर थोक विद्युत प्राप्त करता है और एक मानद लाइसेंसधारी के रूप में इसे छावनियो और सैन्य स्टेशनों के भीतर रक्षा प्रतिष्ठानो/क्षेत्रों को वितरित करता है। मुख्य प्राप्तकर्ता स्टेशन के बाद संपूर्ण रखरखाव, वितरण और मीटरिंग की जिम्मेदारी एम.ई.एस की होती है। परिवादी के 04 विद्युत बिलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित संयोजन Commandant HQ Estt-22 C/O 56 APO Kalahana/ MT Point/ Tandwa/ Power House Chakrata के नाम से निर्गत किये गये है जो दर्शाता है कि यह सभी संयोजन सैन्य संयोजन है। मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी परिवादी को 11 के0वी0 उच्च वोल्टेज पर थोक विद्युत आपूर्ति करता है और परिवादी द्वारा इसे स्टेप डाउन करने के बाद अपने अधिकृत क्षेत्र में वितरित करता है।

माननीय UERC के संबंधित टैरिफ आर्डर दिनांक 11.04.2025 के अनुसार RTS-6.Mixed Load की अनुप्रयोज्यता निम्न प्रकार है:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

This schedule applies to single point bulk supply connection of more than 75 KW where the supply is used predominantly for domestic purposes (with more than 60% domestic load) and also for other non-domestic purposes. **This schedule also applies to supply to MES.**

(Emphasis Added)

उपरोक्त के कम में मंच का मानना है कि परिवादी RTS -6 श्रेणी में आता है न कि RTS -2 अघरेलू श्रेणी में है। मंच का मानना है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को RTS -6 अनुसूची के आधार पर निर्गत 04 अन्तर विद्युत बिल तर्कसंगत है, और परिवादी द्वारा सभी विद्युत बिलों का तत्काल भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा।

इस के अतिरिक्त मंच ने परिवादी के पूर्व के बिलों का भी अवलोकन किया और पाया कि उनके बिल RTS-2 (Govt. Officers/Charitable above 25 KW श्रेणी में निर्गत किये जा रहे थे। यह श्रेणी मान्नीय UERC के टैरिफ आर्डर में इगित नही है। मंच का मानना है कि यह एक गंभीर विसंगति है जिसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

यदि आडिट द्वारा उपरोक्त त्रुटि समय पर उजागर न की जाती तो विपक्षी को और भी अधिक राजस्व हानी हो सकती थी। मंच उपाकालि के प्रबंधन से अपेक्षा करता है, वह सभी सैन्य प्रतिष्ठानों के विद्युत बिलों का परीक्षण करवा ले जिससे सुनिश्चित किया जा सके की उनकी बिलिंग भी RTS-6 अनुसूची में ही हो।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरात उक्त वाद खारिज किया जाता है एवं परिवादी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को RTS -6 अनुसूची के आधार पर निर्गत 04 अन्तर विद्युत बिलों का तत्काल भुगतान करें अन्यथा की स्थिति में विपक्षी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त

नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

12/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

12/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 47/2026

श्री एस०सी० मित्तल,
निवासी ई–17 उग्रसेन नगर,
ऋषिकेश। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 29.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Excess amount of Billing.
The Complainant submits and prays as under:-

"I got wrong bill as reading is wrong- attaching right reading. Present Reading as per bill is 16797. Actual present reading as per meter is 15824. Please correct reading so that I can pay bill."

परिवादी द्वारा अपनी ई–मेल दिनाक 21.05.2026 से मंच को सूचित किया गया है कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है। अतः वह इस केस को यही समाप्त करना चाहते है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में परिवादी द्वारा स्वयः अपनी ई–मेल के माध्यम से मंच से अनुरोध किया गया कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है। अतः उनकी शिकायत को निस्तारित कर दिया जाये।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी ई–मेल के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी ई–मेल के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29-5-2026	29/5/26	29/05/26.
(सुन्दरी गैरोला देवली)	**(दीपक फरस्वाण)**	**(रजनीश माथुर)**
न्यायिक सदस्य	**उपभोक्ता सदस्य**	**तकनीकी सदस्य**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स-0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 48/2026

श्री रवि पाल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश पाल — **परिवादी**
निवासी– बिचली जौलीग्रांट, डोईवाला
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.05.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अवैध विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" निवेदन है कि प्रार्थी श्री रवि पाल स्व0 श्री ओम प्रकाश पाल, जिसकी भूमि खाता सं0 275, खसरा नं0 44ख रकबा 1790 है0 है मौजा भानियावाला तहसील डोईवाला, जिला देहरादून है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी के सह खातेदार व स्वामी श्री रविन्द्र, अमित पुत्रगण स्व0 श्री ओम प्रकाश, श्री विमल पाल, कुशल पाल, पुत्रगण स्व0 श्री फूल सिंह पाल है। यह कि प्रार्थी व उपरोक्त सह खातेदार उक्त भूमि के एक मात्र मालिक व स्वामी है तथा उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नही है। यह कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा पर श्री नरोत्तम सिंह पाल पुत्र स्व0 श्री मुकन्दा राम द्वारा कूटरचित मानसा से अपनी अन्य भूमि खसरा दर्शाकर विद्युत विभाग को गुमराह करते हुए विद्युत संयोजन सं0 41900833431 व 41800269774 स्थापित किये है*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण की निजी भूमि है। अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की भूमि पर उपरोक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लिये गये विद्युत संयोजनों को विच्छेद करने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड **अधिकारी ने आख्या पत्रांक** 368 दिनां**कित** 21/05/2026 **से** मंच **को अवगत कराया** गया है कि *श्री रविपाल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश पाल द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र में विद्युत संयोजन खाता संख्या 41900833431 व 41800269774 को विच्छेदन करने हेतु लिखा गया है व बताया गया है कि श्री नरोत्तम सिंह पाल पुत्र स्व0 श्री मुकद राम द्वारा गलत भूमि के दस्तावेज दिखाकर विद्युत संयोजन लिया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विद्युत संयोजन खाता संख्या 41900833431 श्री नरोततम सिंह द्वारा नये विद्युत संयोजन का आवेदन प्रपत्र एंव संलग्नक प्रस्तुत कर दिनांक 17.07.2019 को उपखण्ड कार्यालय में पंजीकृत कराया गया जिसके सापेक्ष 25.07.2019 को उक्त विद्युत संयोजन निर्गत किया गया।*

मंच द्वारा परिवादी एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो तथा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया गया। अभिलखों से स्पष्ट है कि शिकायत मूल विषय भूमि के स्वामित्व, कब्जे अथवा संपत्ति संबंधी अधिकारों के निर्धारण से संबंधित है।

मंच का मत है कि भूमि के स्वामित्व अथवा कब्जे का निर्धारण करने का अधिकार सक्षम राजस्व अथवा सिविल न्यायालय को प्राप्त है। विपक्षी को भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की वैधानिक जॉच कर स्वामित्व/विवाद का निर्णय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार प्रस्तुत मंच का क्षेत्राधिकार भी विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित विवादों तक सीमित है तथा भूमि स्वामित्व अथवा कब्जे से संबंधित विवादों का निर्णय मंच द्वारा नहीं किया जा सकता।

मंच परिवादी की शिकायत के क्रम में विपक्षी को केवल भूमि स्वागित्व विवाद के आधार पर विद्युत संयोजन विच्छेदन करने हेतु निर्देशित नहीं कर सकता है।

मंच द्वारा उभक्ष पक्षो को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री रविपाल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश पाल द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र में विद्युत संयोजन खाता संख्या 41900833431 व 41800269774 को विच्छेदन करने हेतु लिखा गया है व बताया गया है कि श्री नरोत्तम सिंह पाल पुत्र स्व0 श्री मुकन्द राम द्वारा गलत भूमि के दस्तावेज दिखाकर विद्युत संयोजन लिया गया है के संबंध में विपक्षी द्वारा अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन खाता संख्या 41900833431 श्री नरोततम सिंह द्वारा नये विद्युत संयोजन का आवेदन प्रपत्र में खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर भूमि स्वामी के रूप में प्रस्तुत कर दिनांक 17.07.2019 को उपखण्ड कार्यालय में पंजीकृत कराया गया जिसके सापेक्ष 25.07.2019 को उक्त विद्युत संयोजन निर्गत किया गया।

विद्युत संयोजन खाता संख्या 41800269774 श्री नरोत्तम सिंह द्वारा नये विद्युत संयोजन का आवेदन प्रपत्र एवं संल्गनक प्रस्तुत कर दिनांक 26.02.2018 को उपखण्ड कार्यालय में पंजीकृत कराया गया जिसके सापेक्ष 05.03.2018 को उक्त विद्युत संयोजन निर्गत किया गया।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के *UERC (The Electricity Suplly Code, Release of New Connections and Related and Related Matters) Regulations, 2020* के *Chapter 6 : Disconnection & Reconnection* मे विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन सबंधी उल्लेख है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन विद्युत बिल का भुगतान न करने अथवा उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर ही विच्छेदित किया जा सकता है। अन्य किसी की

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

इच्छा मात्र पर किसी विद्युत उपभोक्ता के नाम जारी किये गये संयोजन को काटने का कोई अधिकार उक्त रेगुलेशन में विद्युत विभाग को नहीं दिया गया है। उपरोक्त के आलोक में परिवादी की प्रार्थना कि उनकी भूमी पर श्री नरोत्तम सिंह पाल पुत्र श्री मुकुन्द राम द्वारा कूटरचित मनशा से लिये गये विद्युत संयोजन खाता संख्या 41900833431 व 41800269774 को विच्छेदित कराया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित नही है, इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता हैं। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नही करेगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 30/05/26
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 185/2025

श्री बी० एम० गुप्ता, — परिवादी
निवासी–अल्टीमा अपार्टमंट्स,
इन्दर रोड, डालनवाला,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं बी. एम. गुप्ता, अध्यक्ष, आर.डब्ल्यू.ए., अल्टीमा अपार्टमेंट्स, इन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून (द्वारा मानस् लुम्बा का प्रतिनिधित्व करते हुए) अपने उक्त अपार्टमेंट के कॉमन एरिया के बिजली कनेक्शन से संबंधित खाता संख्या–41900051938 (उपभोक्ता – श्री मानस लुम्बा (Builder), उपभोक्ता संख्या: CD0K000200652, मीटर संख्या: 5138099) के संबन्ध में सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे उपभोक्ता खाते पर "मीटर स्लो" दर्शाते हुए रू० 6,07,745 की अत्यधिक धनराशि का आकलन/जुर्माना आरोपित किया गया है, जो पूर्णतः असंगत एवं अनुचित है। उपभोक्ता लेजर (01 अप्रैल 2025 से 05 फरवरी 2026) के अनुसार दिनांक 22 अगस्त 2025 को "Adjustment" के आधार पर अत्यधिक राशि जोडी गई है एवं परिणमस्वरूप कुल देय राशि रू० 6,07,745 प्रदर्शित की गई है। इसी लेजर के अनुसार हमारे अपार्टमेंट के कॉमन एरिया का माहवर विद्युत बिल विवरण निम्नानुसार है:–*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माह	*बिल राशि (रू0)*
अप्रैल 2025	*51,568*
मई 2025	*60,116*
जून 2025	*77,228*
अगस्त2025–आर्थिक दंड(68.06% meter slow) के साथ–	*6,10,074*
सितम्बर2025 से जनवरी2026 (05 माह)	*2,57,087 (50,000/माह के करीब)*
फरवरी 2026	*53,589*

अगस्त 2025 माह से पूर्व तथा उसके पश्चात् के महीनों के उपभोक्ता लेजर विवरण से स्पष्ट है कि हमारे कॉमन एरिया का विद्युत बिल सामान्यतः रू050,000 से रू060,000 के मध्य ही रहा है (जैसा कि फरवरी 2026 में रू53,589 दर्शित है)। इसके विपरीत, दिनांक 22 अगस्त 2025 को "assessment against checking no. 63/21 old mtr founds 68.06% slow" के आधार पर एक अत्यधिक एवं असामान्य राशि जोडकर कुल देयक को अस्वाभाविक रूप से बढा दिया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त "assessment against checking no. 63/21" के आधार पर लगाया गया आर्थिक दंड वास्तविक उपभोग के अनुरूप नहीं है तथा पूर्णतः त्रुटिपूर्ण, मनमाना एवं निरस्त किए जाने योग्य है। इस प्रकार का भारी–भरकम जुर्माना उपभोक्ता के लिए अत्यंत कष्टप्रद एवं अन्यापूर्ण है। उक्त अवधि के दौरान हमारे आवासीय सोसाइटी के समस्त निवासियों को पडतारित करते हुए विद्युत विभाग द्वारा हमारे कॉमन एरिया की विद्युत आपूर्ति को कई बार बाधित/विच्छेदित किया गया एवं 28 फरवरी 2026 को विद्युत आपूर्ति पुनः विच्छेदित कर हमें संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया, जिसके क्रम में हमने 02/03/2026 को रू0 919776 का भुगतान कर दिया अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा करते हुए मीटर स्लो के आधार पर लगाए गए उक्त आकलन/जुर्माने को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए तथा वसूल की गई रू0 6,07,745 की धनराशि को यथाशीघ्र वापस किया जाए अथवा आगामी विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए। कृपया शीघ्र न्यायोचित कार्यवाही कर अनुग्रहीत करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1688, दिनांकित 02/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि संयोजन संख्या CD0K000200652 पर स्थापित मीटर संख्या 18303975 के सापेक्ष स्थापित चैक मीटर को दिनांक 23.05.2025 को फाईनल करते समय पुराना मीटर (18303975) 68.06 प्रतिशत धीमा पाया गया जिसकी अवधि (85 दिन, 21 घंटे, 30 मि0 55 से0)। (पत्र सहित रिपोर्ट की आख्या सलंग्न) अतः स0हा0अभि0(मीटर) की आख्या पर उपभोक्ता पर मीटर यूनिट के सापेक्ष 68.06 प्रतिशत धीमा का निर्धारण किया गया जिसकी प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। महोदय को यह भी अवगत कराना है कि मा0*

मंच द्वारा सुनवाई की नियत तिथि 13.04.2026 को मुझे/सम्बन्धित अधिकारी को अपरिहाय कारणों से मुख्यालय से बाहर जाना पड रहा है। अतः मा० मंच से अनुरोध है कि उक्त परिवाद हेतु सुनवाई की नियत तिथि (13.04.2026) को अग्रिम एक सप्ताह हेतु निर्धारित करने की कृपा करें।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र दिनांकित 19.05.2025 से स्पष्ट है कि परिवादी को उनके विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 41900051938 के जनवरी 2026 का बिल रू0 8,64,832.00 का प्राप्त हुआ है, जिसमे 68.06 प्रतिशत धीमा विद्युत मापक चलने का निर्धारण, दर्शाया गया है, जबकि परिवादी के अनुसार उनके द्वारा जून 2025 का विद्युत बिल रू0 77,228.00 का था एवं सितम्बर 2025 से जनवरी 2026 तक के प्रत्येक माह लगभग रू0 50,000.00 के बिल प्राप्त हुए है। परिवादी का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा चैक मीटर स्थापित किये जाने में तय प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है। उनका मीटर ठीक स्थिति में चल रहा था और माननीय् ***UERC*** के विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम 2020 के विनियम 5.1.3(5) में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया।

विनियम: 5.1.3(5) *"The Licensee shall, within 30 days of receving the complaint, carry out testing of the meter as per tha procedure specified in these regulations and shall furnish duly authenticated **test results to the consumer. The consumer shall be informed of proposed date and time of testing at least 2 days** in advance.*

*Provided that where the Licensee is installing a test/check meter alongwith the meter under test for verification of energy consumption, in such cases the Licensee shall be required to provide a copy of **the** valild test report of such test/check meter to the consumer before initiating the testing."*

[Emphasis Added]

इस के अतिरिक्त **UERC** के विद्युत आपूर्ति संहिता विनियन 2020 के विनियम *5.1.3(11)* के अनुसार *"Wherever the testing of meter is being done, signature of the consumer, or his authorized representative , if present, would be obtained on the Test Report and a copy thereof shall be supplied to the consumer."*

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को तय समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तावित परीक्षण की सूचना नहीं दी गई तथा विपक्षी द्वारा परिवादी को चैक मीटर की NABL मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रमाण पत्र चैक मीटर स्थापित किये जाने से पूर्व हस्तगत भी नही कराई गई। पत्रावली पर उपलब्ध मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित विनियम 5.1.3(11) का भी घोर उल्लंघन किया गया और सोसाईटी के अधिकृत सदस्यों की अनुपस्थिति में विद्युत मीटर की टैस्टिंग की प्रक्रिया की गई जिस के क्रम में परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष दर्ज कराई गई।

मंच के संज्ञान मे यह भी आया कि समान प्रकृति के वाद में मंच द्वारा पूर्व में भी वाद संख्या 210/2024 दिनांक 24.04.2025 में आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें मंच ने सबंधित विधिक एवं नियामकीय प्रावधानों का परीक्षण करते हुए अपना आदेश पारित किया था। उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, किन्तु माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वाद संख्या WPMS/2301/2025" में मच के आदेश को सही ठहराते हुए अपने आदेश मे कहा किः–

"9. This Court concurs with the view taken by learned Forum. Respondent was neither supplied test report nor he was given any notice about the installation of check meter, which is mandatory, therefore, the order passed by learned Forum cannot be faulted. When the Statute requires the thing ***to be done in a particular manner than*** *that thing must be done in that manner or not at all. The view taken by learned Forum also finds support by Clause 12 of the Regulation 5.1.3."*

[Emphasis Added]

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 6 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 25.02.2026 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-5-2026 (सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/5/26 (दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 30/5/26
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 40 / 2026

डॉ शालिनी वार्ष्णेय — परिवादी
निवासी– ब्लेस ई.एन.टी. क्लिनिक
कैपिटल हाइटस सोसाइटी मार्केट,
आई टी.बी.पी. रोड़, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

"I, Dr. Shalini Varshney is a consumer through UPCL for my clinic adjacent, to Capital Heights society, Sai Lok. My april, 26 bill generated showed 4000 Rs bill through from Sep.22 bill energy month is in Rs 800-1200 Rs. range. I registered query with Mr. Manjeet, a boy Mr. Rahul came

to clinic on 27-04-2026 and checked that he noted meter reading as wrong. So he took correct noting for april and he said you will receive new bill by 29-04-26 but we waited till 02-05-26. No bill generated. Then we contacted office again and met manjeet sir, Vijay Soni sir again took reading on 05-05-2026 and said new April bill will be generated by 15-05-26 but my current bill with issue penalty from 11th may. 26. Kindly look into the matter and resolve it at earliest else I would have to contact higher authority."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2591 दिनांकित 15/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *श्रीमती शलिनी वार्ष्णेय पत्नी अनुराग गुप्ता (संयेाजन संख्या SD65336/235046) का बीजक दिनांक 26.04.2026 तक रू0 4292.00 था, जो कि गलत रीडिंग पर निर्गत हो गया था जिसें दिनांक 11.05.2026 को सही रीडिंग पर रू0 1487 संशोधित कर उपभोक्ता को प्रेषित कर दिया गया है।*"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती शलिनी वार्ष्णेय पत्नी अनुराग गुप्ता (संयेाजन संख्या SD65336/235046) का बीजक दिनांक 26.04.2026 तक रू0 4292.00 था, जो कि गलत रीडिंग पर निर्गत हो गया था जिसे दिनांक 11.05.2026 को सही रीडिंग पर रू0 1487 संशोधित कर उपभोक्ता को प्रेषित कर दिया गया है

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का समाधान विद्युत बिल संशोधित कर मूल शिकायत का निवारण कर दिया गया एवं परिवादी द्वारा भी सुनवाई से पूर्व अपनी लिखित

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरुप उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जान एवं परिवादी द्वारा भी सुनवाई से पूर्व अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/- 30-5-2026	Sd/- 30/05/26	Sd/- 30/05/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 **ONL** 27/2026

श्रीमती बीना राणा — **परिवादी**
निवासी– मकान नं0–बी 248,
सेकटर 4, डिफेंस कालोनी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.05.2026
श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding bidirectional meter to record import and export units.

The Complainant submits and prays as under:-

" Please configure my bidirectional meter to record import and export units . Solar roof top project was commissioned on 05.03.2026 but I am still getting normal bill.

उपरोक्त के सन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 410 दिनांकित 06/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *शिकायतकर्ता द्वारा मीटर का Export Open करने हेतु अनुरोध किया है, meter को Configure कर Import and Export Open कर दिया है, साक्ष्य के रूप में दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तथ्यो का संज्ञान लेते हुये आप अपने स्तर से शिकायत का निस्तारण करने की कृपा करें।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत मीटर को Configure कर Import and Export Open कर दिया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निवारण मीटर को Configure कर Import and Export Open कर दिया कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर** परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-5-2026

(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/05/26

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/05/26

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 32/2026

श्री अरविंद कंसवाल, — **परिवादी**
निवासी– गीता नगर, लेन नं0–01,
हरिद्वार रोड, ऋषिकेश।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 29.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Faulty Meter Reading for the Period 01/03/2026 to 01/04/2026.

The Complainant submits and prays as under:-

"My electricity bill dated 21 april 2026 (duration 01 march 2026 to 01 April 2026) is showing the incorrect Export metered Unit for my 10 kilowatt grid-connected Rooftop solar PV System. It shows Export metered Unit kwh/kvah as 10/1020, which is not possible . There seems to be some error during meter reading taking. The vendor has checked the system and confirmed that the solar system is working correctly. Therefore, please do the needful to rectify this error as soon as possible and reimburse the energy charges incurred owing to this error."

परिवादी द्वारा अपनी मेल दिनांक 12.05.2026 से अनुरोध किया कि:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

"The Complaint related to case no. 01202604290001 is now being addressed by the local electricity department with the help of the respected SDO. Therefore, please cancel this grievance, as no escalation is required for now. I appreciate your help in this matter."

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा अपनी शिकायती पत्र के क्रम में मंच को ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा उनकी शिकायत का समाधान किया जा रहा है, अतः वाद आगे जारी नहीं रखना चाहते है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत रदद् करने का अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निरतारित किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत रदद् करने का अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

29/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 33/2026

श्रीमती लीला देवी, — परिवादी
निवासी–264, दीपनगर,
अजबपुर कलाँ, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा विद्युत संयोजन संख्या CD17118111060 तथा अकाउंट नंबर 40106353192 है। निवेदन है कि मेरा विद्युत मीटर अगस्त 2025 में खराब हो गया था इसकी सूचना मेरे द्वारा समय पर विभाग को दी गई थी। शिकायत के उपरांत विभाग द्वारा सितंबर 2025 में उक्त खराब मीटर को बदल दिया गया। उस समय विभाग द्वारा खराब मीटरकी अवधि का बिल IDF (औसत खपत) के आधार पर जारी किया गया था, जिसका भुगतान मेरे द्वारा नियमानुसार समय पर कर दिया गया था। इसके बावजूद विभाग द्वारा प्रतिस्थापित नए मीटर को समय पर विभागीय सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया तथा उसे काफी विलंब से 02 फरवरी 2026 को सिस्टम में अपडेट किया गया। इसके उपरांत पुनः 16 फरवरी 2026 को उसी मीटर के स्थान पर फिर से परिवर्तन किया गया तथा बाद में नया मीटर 25 फरवरी 2026 को सिस्टम में दर्ज किया गया। उक्त लापरवाही के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा मात्र 10 से 11 दिनों की अवधि का 1509 यूनिट का अत्यधिक उपभोग दर्शाते हुए रू0 11,303/– का बिल*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जारी कर दिया गया, जो वास्तविक उपभोग की दृष्टि से पूर्णतः असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि विभाग द्वारा इस बिल में पुराने खराब मीटर की 1509 यूनिट को भी जोड दिया गया है, जबकि जिस अवधि में मीटर खराब था, उस अवधि का IDF बिल पहले ही मेरे द्वारा जमा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में खराब मीटर की रीडिंग का पुनः जोडकर बिल बनाना पूर्णतः अनुचित एवं विभागीय त्रुटि को दर्शाता है। मैनें इस संबंध में कई बार आराघर तथा ई.सी.रोड स्थित विद्युत कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई, परंतु आज तक न तो मेरे बिल में कोई संशोधन किया गया और न ही कोई उचित समाधान प्रदान किया गया। इसके विपरीत मुझे लगातार भ्रमित किया गया। इतना ही नहीं कई बार अनुरोध करने के पश्चात् भी विभाग द्वारा मुझे खराब मीटर की MRI रिपोर्ट, परिक्षण रिपोर्ट अथवा कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके आधार पर विभाग द्वारा दर्शाई गई रिडिंग की सत्यता पर विश्वास किया जा सके। स्पष्ट है कि विभागीय लापरवाही एव त्रुटिपूर्ण अभिलेख अद्यतन के कारण मुझ उपभोक्ता पर अनुचित आर्थिक भार डाला गया है, जो उपभोग हितों के प्रतिकूल है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि–

1. *मेरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए।*
2. *गलत रूप से जोडी गई 1509 यूनिट को तत्काल बिल से हटाया जाए।*
3. *विद्युत बिल का सही संशोधन कराया जाए।*
4. *विभागीय त्रुटि के कारण हुए मानसिक एवं आर्थिक कष्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे न्याय प्रदान किया जाए।*

इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4967, दिनांकित 11/05/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है *"कि वादी का मीटर 80300917 खराब होने के कारण विद्युत बिल आई.डी.एफ में निर्गत किये जा रहे थे। उक्त खराब मीटर को सहायक अभियन्ता मीटर्स द्वारा दिनांक 29.09.2025 को बदला गया एव दिनांक 02.02.2026 को सिस्टम में अंकित किया गया तत्पश्चात् गढवाल स्मार्ट मीटरिंग द्वारा दिनांक 16.02.2026 को वादी के परिसर पर मीटर सं0 5566081 बदल दिया गया है, जिस कारण वादी का माह फरवरी का बिल सं0 80300917 के आधार पर बना है। गढवाल स्मार्ट मीटरिंग से मीटर सं0 18152814 की सीलिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध*

करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। सीलिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के पश्चात् विभागीय नियमानुसार बिल में संशोधन कर दिया जायेगा।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 5054, दिनांकित 25.05.2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि वादी का मीटर 80300917 खराब होने के कारण विद्युत बिल आई.डी.एफ में निर्गत किये जा रहे थे। उक्त खराब मीटर को सहायक अभियन्ता मीटर्स द्वारा दिनांक 29.09.2025 को बदला गया एवं दिनांक 02.02.2026 को सिस्टम में अंकित किया गया तत्पश्चात् गढवाल स्मार्ट मीटरिंग द्वारा दिनांक 16.02.2026 को वादी के परिसर पर मीटर सं0 5566081 बदल दिया गया है, जिस कारण वादी का माह फरवरी का बिल सं0 80300917 के आधार पर बना था। माह फरवरी/2026 का बिल विभागीय नियमानुसार CCBR के माध्यम से संशोधन कर दिया गया है एवं साथ ही गढवाल स्मार्ट मीटरिंग से दिनांक 16.02.2026 को बदला गया स्मार्ट मीटर सं0 5566081 को सिस्टम में पुनः अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया है, स्मार्ट मीटर सिस्टम में अंकित होने के उपरान्त वादी का बिल स्मार्ट मीटर के आधार पर निर्गत किया जायेगा।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 17.05.2025 से 16.02.2026 (स्मार्ट मीटर लगाये जाने की तिथि) अर्थात् लगभग 9 बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है। विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 25.05.2026 को प्रस्तुत संशोधित बिल का मंच द्वारा अवलोकन किया गया जिसे मंच द्वारा माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के नियमानुसार न पाते हुए निरस्त किया जाता है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके

हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter." उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 17.05.2025 से 16.02.2026 (स्मार्ट मीटर लगाये जाने की तिथि) अर्थात् लगभग 9 बिल चक्रों में IDF के आधार में प्रेषित बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 6 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 25.02.2026 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 25.05.2026 को प्रस्तुत संशोधित बिल निरस्त किया जाता है एव विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा दिनांक 17.05.2025 से 16.02.2026 (स्मार्ट मीटर लगाये जाने की तिथि) अर्थात् लगभग 9 बिल चक्रों में IDF के आधार में प्रेषित बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के नाम निर्गत विद्युत संयोजन MP0K000907239 के संबंध में वास्तविक रूप से बिना मीटर स्थापित एवं बिना विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ किये विद्युत बिल जारी किए गए, जो विधिसम्मत नहीं हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों के अभिलेखों, लिखित कथनों तथा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यो का परीक्षण किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर दिनांक 26.12.2025 को लगाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध एन.आर.आई. रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संबंधित मीटर की स्थापना एवं ऊर्जीकरण 26 दिसबर, 2025 में किया गया था।

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से भी यह स्वीकार किया गया कि परिवादी के परिसर पर विद्युत मीटर माह दिसंबर 2025 को स्थापित किया गया था।

मंच का मत है कि विद्युत उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार का विद्युत प्रभार तभी विधिपूर्वक आरोपित किया जा सकता है जब उसे वास्तविक रूप से विद्युत संयोजन उपलब्ध कराया गया हो तथा विद्युत मीटर स्थापित एवं ऊर्जीकृत किया गया हो। मीटर स्थापना एवं ऊर्जीकरण से पूर्व की अवधि के लिए विद्युत प्रभार (Energy Charges) अथवा नियत प्रभार (Fixed Charges) आरोपित किया जाना न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, एम.आर.आई. रिपोर्ट तथा विपक्षी द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति कथन से यह सिद्ध होता है कि परिवादी का विद्युत मीटर दिनांक 26.12.2025 को स्थापित एवं ऊर्जीकृत किया गया। अतः उक्त

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता से मोबाईल सम्पर्क स्थापित कर उक्त के संदर्भ मे जानकारी दे दी गयी है एवं उपभोक्ता का मोबाईल नं० RAPDRP System में Update कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की उपरोक्त विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

29/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 16/2026

श्री सुनील कुमार रावल, — परिवादी
निवासी– 17/2, जीवनी माई रोड,
नल, ऋषिकेश।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 29.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding physical bill not-being delivered at his address.

The Complainant submits and prays as under:-

"*Apka Staff yaha par Physical Bill Nahi dena ata mere ko Hamesha Online jakar check karna padta hai.*"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 76, दिनांकित 18/05/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि मै0 ऋशिगा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0 के सुपरवाईजर श्री मुकेश रमोला को चेतावनी पत्र जारी कर उपभोक्ता को प्रतिमाह विद्युत बिल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उपभोक्ता से मोबाईल सम्पर्क स्थापित कर उक्त के संदर्भ में जानकारी दे दी गयी है एवं उपभोक्ता का मोबाईल नं0 RAPDRP System में Update कर दिया गया है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता से मोबाईल सम्पर्क स्थापित कर उक्त के संदर्भ में जानकारी दे दी गयी है एवं उपभोक्ता का मोबाईल नं० RAPDRP System में Update कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की उपरोक्त्त विद्युत बिल संबधी शिकायत का निवारण कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

29/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 29/05/26
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 21/2026

मौ० सलमान शेख, परिवादी
निवासी– लेन नं०–08,,
टर्नर रोड, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम **दिनांकः 25.05.2026**

श्री रजनीश माथुर **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding delay in refund of security money by UPCL..

The Complainant submits and prays as under:-

"In reference to the long pending revert of my stucked closed electrical account of my new house. It has been a pain and non reversion from any physical person present in the UPCL office ISBT. Have waited for automated system to revert the payment but gotno luck from months. I will like to raise the complain to the higher authority for the same. Esclating my complaint and resolving it to the earliest. Refund into the account in which it was deducted."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 398, दिनांकित 29/04/2026 से मंच को **अवगत कराया है** *"कि शिकायतकर्ता द्वारा उनके अस्थाई विद्युत संयोजन सख्या–SD69999149285 की जमानत धनराशि हेतु शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कि उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक–254 दिनांक–16.03.2026 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है, जो कि अग्रिम विभागीय प्रक्रियाधीन है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गैढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135-2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 436, दिनांकित 07.05.2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है *"कि खण्ड कार्यालय के पत्रांक–447 दिनांक–30.04.2026 के माध्यम से मेनेजर, पी०एन०बी० ब्रांच को चैक संख्या–227439 दिनांक–29.04.2026 के माध्यम से उपभोक्ता को जमानत धनराशि निर्गत कर दी गई है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया **एवं पत्रावली** का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपने खण्ड कार्यालय के पत्रांक–447 दिनाक–30.04.2026 के माध्यम से मेनेजर, पी०एन०बी० ब्रांच को चैक संख्या–227439 दिनांक–29.04.2026 के माध्यम से उपभोक्ता को जमानत धनराशि निर्गत कर दी गई है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की सिक्योरीटी रिफंड न किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण सिक्योरीटी रिफंड कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

25/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 22/2026

मौ0 आकिब **परिवादी**
निवासी– मेहूवाला माफी, नया नगर चौक
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम **दिनांक: 29.05.2026**

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत संयोजन विच्छेदित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" मेरा नाम मौ0 आकिब पुत्र स्व0 मकसूद अली, निवासी– मेहूवाला माफी नया नगर देहरादून, मैंने पिछले महीने अपने घर के लिए एक बिजली कनेक्शन लिया था, जिसका कनैशन नं0 42600264022 है जो कि 08.03.2026 को लगा था। तीन दिन पहले बिजली वाले मेरा कनेक्शन काट कर चले गये जब मैंने पूछा तो मुझसे पैसे की मांग करने लग गये, मैंने मना किया तो फिर गाली गलौच करने लग गए। अगले दिन मैंने सी.एम. हैल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई जिसका नं0 CMHL-042026-2-1001937 है, इसके बाद मुझे गणेशपुर उपखण्ड से फोन आया की तुमने शिकायत क्यों करी और फिर मेरा*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मीटर भी ले कर चले गए अतः मुझसे पैसो की डिमाण्ड कर रहे है, अतः आपसे निवेदन है की मेरा कनेक्शन वापस लगाया जाए मैं मानसिक रूप से तनाव में हूँ क्योंकि घर में दो छोटे बच्चे भी है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मेरे इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए। आपकी अति कृपा होगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 7015 दिनांकित 21/04/2026 से मंच को निम्नलिखित बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

बिन्दु संख्या 01– " शिकायतकर्ता के परिसर पर पहले से ही संयोजन संख्या MP12112724466 नामे श्रीमती खुशनुमा पत्नी श्री आकिब के नाम से संयोजन स्थापित था, जिसकी विद्युत बिल की धनराशि 29677.00 रू0 बकाया होने के कारण संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था।

बिन्दु संख्या 02– यह कि शिकायतकर्ता द्वारा धोखे से उसी परिसर पर (मो0 आकिब) नाम से नया विद्युत संयोजन हेतु आवेदन कर पंजीकरण संख्या 996040226012 के माध्यम से विद्युत संयोजन संख्या MP12114134129 प्राप्त कर लिया गया।

बिन्दु संख्या 03– क्षेत्र में राजस्व वसूली के दौरान पाया गया कि उक्त परिसर पर पूर्व संयोजन MP12112724466 के सापेक्ष विद्युत बिल की धनराशि 29677.00 रू0 बकाया होने के कारण नया विद्युत संयोजन संख्या MP12114134129 को अस्थाई विच्छेदित कर मापक उतार लिया गया।

बिन्दु संख्या 04– यह कि उक्त परिसर पर पूर्व में स्थापित संयोजन MP12112724466 के सापेक्ष विद्युत बिल की धनराशि 29677.00 रू0 का भुगतान होने पर शिकायतकर्ता का नया विद्युत संयोजन अवमुक्त कर दिया जायेगा।"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथिया 30.04.2026, 11.05.2026 एवं 18.05.2026 नियत की गई थी, उपरोक्त सभी सुनवाई तिथियों से परिवादी को मंच द्वारा अवगत कराया गया था, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी तिथि में मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/- 29-5-2026	Sd/- 29/05/26	Sd/- 29/05/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी को उनकी वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये जा रहे है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 10/2026

श्री गिरीश धस्माना **परिवादी**
निवासी - 87, त्यागी रोड़ लोहियापुरम
श्री माता वैष्णो देवी मन्दिर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 25.05.2026

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" मैं गिरीश धस्माना पुत्र स्व0 श्री शिव चरण धस्माना विगत 20 वर्षों से श्री माता वैष्णो देवी मन्दिर में रहकर पूजा सेवा कर रहा हूँ। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा उपखण्ड नगर देहरादून, विद्युत कार्यालय में एक नए बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया। कार्यालय द्वारा तदउपरांत अमुक–अमुक कारण बताकर आवेदन लेने से इन्कार कर दिया गया है। अतः मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त विषय का संज्ञान लेकर मुझे घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की कृपा करें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 222 दिनांकित 27/04/2026 से मंच को निम्नलिखित बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है–

1. *"श्री गिरीश धस्माना द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 27.03.2026 को आवेदन किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन न0 488270326002 है, जिसके उपरांत अवर अभियन्ता रेसकोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 31.03.2026 को प्रेषित की गयी एवं यह भी अवगत कराया गया कि स्थल निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि उक्त भूमि वर्तमान में विवादित है, जिसके उपरांत अवर अभियन्ता द्वारा Land Dispute (भूमि विवाद) होने के कारण नया विद्युत संयोजन निर्गत नही किया जा सकता है।*
2. *यह भी अवगत कराना है कि श्री हरिप्रकाश सैनी, 89 त्यागी रोड़, देहरादून द्वारा भी दिनांक 31.03.2026 को त्रिमूर्ति माता वैष्णों देवी मन्दिर, 89 त्यागी रोड़, देहरादून पर नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 488010426001 है, जिसमें अवर अभियन्ता रेसकोर्स द्वारा Land Dispute (भूमि विवाद) होने के कारण नया विद्युत संयोजन निर्गत नही किया जा सकता है।"*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 234 दिनांकित 08/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"श्री गिरीश धस्माना द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 27.03.2026 को आवेदन किया गया, जिसका आवेदन संख्या 488270326002 है, जिसको अवर अभियन्ता की आख्या अनुसार भूमि विवाद होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। श्री गिरीश धस्माना के द्वारा मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में अपनी शिकायत दर्ज की गयी जिसकी शिकायत संख्या 10/2026 है। उक्त प्रकरण में दिनांक 30.04.2026 को हमें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था, जब हमारे द्वारा दिनांक*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

30.04.2026 को मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में अपना पक्ष रखा गया तो उसने आपके द्वारा हमें आदेशित किया गया कि श्री गिरीश धस्माना को दिनांक 11.05.2026 तक नया संयोजन दिया जाये एवं मीटर सीलिंग मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में प्रस्तुत की जाये। चूंकि संयोजन आवेदन संख्या 488270326002 निरस्त होने के कारण श्री गिरीश धस्माना द्वारा दोबारा आवेदन किया जिसका आवेदन संख्या 488040526001 दिनांक 04.05.2026 है। उक्त आवेदन संख्या में श्री गिरीश धस्माना के उक्त परिसर में मीटर लगवा दिया गया है एवं विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी गयी है।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के आवेदन संख्या 488040526001 दिनाक 04.05.2026 के क्रम में उपभोक्ता श्री गिरीश धस्माना के उपरोक्त परिसर में मीटर लगा दिया गया है, एवं विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी गयी है

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन निर्गत कर कर दिया गया है।
विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-5-2026	25/05/26	25/05/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 12/2026

श्री अभय जूयाल, — **परिवादी**
निवासी– सी–502, एम०डी०डी०ए०,
हाई कॉलोनी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — **दिनांकः 25.05.2026**

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding New Connection.
The Complainant submits and prays as under:-

"New Connection request submitted on 20 march. No progress since that day. Request intimate by when will electric connection be provided."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 385, दिनांकित 27/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि शिकायतकर्ता द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु शिकायत की गई है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 16 अप्रैल 2026 को उपभोक्ता द्वारा नये संयोजन की धनराशि जमा कराने के उपरान्त दिनांक 22 अप्रैल को संयोजन निर्गत कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के आवेदन के क्रम में

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली-रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 16 अप्रैल 2026 को उपभोक्ता द्वारा नये संयोजन की धनराशि जमा कराने के उपरान्त दिनाक 22 अप्रैल को संयोजन निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन निर्गत कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निरतारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

25/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य
25/05/26

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 13/2026

श्रीमती श्रुति सूद — परिवादी
निवासी– लेन नं0 -7, शिवराज नगर
बडोवाला, आरकेडिया ग्रांट, नियर जानकी
वैडिंग फार्म, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding quashing inflated amount of electricity bill issued by UPCL.

The Complainant submits and prays as under:-

1. *" I wanted to apply for a commercial electricity connection with 10KW load for my site which is under construction & located in Badowala, for which I got in touch with the SDO, Ganeshpur Exchange, Shimla By Pass Road, Dehradun. The SDO informed me that the*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

10KW connections generally take 4-6 months for various approvals & release and I could apply on that basis.

2. *I applied for a new connection in May 2025 considering above and was informed to deposit the amount of INR 17000 only in cash. Attached invoice.*
3. *I had no intimation until 24th December 2025 when I receive a bill for INR 65806 only via SMS(attached).*
4. *As there was no meter installed on date 24 Dec 2025, I went to the SDO office who told us to go the Executive Engineer's office and inform them as it comes under his workscope.*
5. *Meanwhile the Lineman had installed the meter on the pole in the vicinity on 28th Dec 2025, the evidence was shown to me by the SDO & JE Ganeshpur Exchange.*
6. *I met the concerned official at Executive Engineer's office who told me to complaint to the SDO in writing and same was submitted and acknowledged by the Ganeshpur Exchange on 31st Dec 2025.*
7. *On 5th Jan 2026, I met the SDO and JE Ganeshpur at the office and both of them visited the site. The SDO confirmed that the construction was not completed as on the date and filled up a form confirming same.*
8. *SDO Ganeshpur on my subsequent visit to office informed that investigation is in progress as I kept him informed that I continue to receive the bill vis SMS.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun - 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 08/2026

श्री प्रेमसिंह कश्यप पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल — परिवादी
निवासी– ग्राम पित्थूवाला खुर्द,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 25.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *मै प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान अधिशासी अभियन्ता/उपखंड अधिकारी आई0एस0बी0टी0 जिला देहरादून से दिनांक 19.02.2026 को मैं अपने घर पर था तथा उक्त विभाग से बिजली वाले आये और मुझे अपने साथ ले गये जब मैं आफिस पहुँचा तो बिजली वालों ने कहा कि तुम्हारा 10 महीनों का बिल बकाया है और अगर जमा नहीं किया तो तुम्हारा बिजली का मीटर काट दिया जायेगा, तो मैंने कहा कि मैंने पूरा बिल पूर्व में ही जमा कर रखा है तथा पूरा बिल जमा होने के बावजूद भी मुझे बिजली वालों के*

द्वारा जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है तथा मैं बिजली के बिल जमा की रसीदें साथ में संलग्न कर रहा हूँ। महोदय मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ तथा मेरी उम्र 94 वर्ष हो चुकी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त विभाग में कर्मचारियों को आदेशित करने की कृपा करें कि वह प्रार्थी को बिना वजह बिजली के बिल के सम्बन्ध में तंग व परेशान न करें। आपसे निवेदन है कि मेरी समस्या का निवारण अतिशीघ्र करने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 413 दिनांकित 02/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है कि विभागीय कार्मिक द्वारा उन्हें विद्युत संयोजन सं0 SD15535100915 के सापेक्ष दिनांक 19.02.2026 को विद्युत बिल जमा करने हेतु कहा गया। शिकायतकर्ता के अनुसार उन पर कोई बकाया शेष नहीं था। अवगत कराना है कि दिनांक 12.10.2025 से 02.02.2026 कुल चार माह का विद्युत बिल बकाये होने पर उपभोक्ता को बिल जमा कराने हेतु कहा गया था। जो कि उनके द्वारा दिनांक 19.02.2026 को विभाग द्वारा कहने पर जमा कराया गया।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर **परिवादी** के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा उपलब्ध कंज्यूमर लेजर का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है, दिनांक 12.10.2025 से 02.02.2026 कुल चार माह का विद्युत बिल बनाया गया है, जिसे परिवादी द्वारा दिनांक 19.02.2026 को भुगतान भी कर दिया गया है, अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-5-2026	25/05/26	25/05/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2789755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 09/2026

श्री दर्शन डोभाल — परिवादी
निवासी– मकान संख्या 227,
लेन नंबर 11, विजयपार्क एक्सटेंशन
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.05.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *'सविनय निवेदन है कि प्रार्थी दर्शन डोभाल, पुत्र स्व0 श्री टीका राम डोभाल, निवासी मकान संख्या 227, लेन नंबर 11, विजयपार्क एक्सटेंशन, देहरादून (पिन कोड 248001) का विद्युत संयोजन संख्या SD26112126691 है। प्रार्थी को पूर्व में प्रत्येक माह नियमित रूप से विद्युत बिल प्राप्त होता रहा है तथा प्रार्थी द्वारा उसका समय पर भुगतान भी किया जाता रहा है। किन्तु इस बार विभाग द्वारा किसी*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कारणवश लगातार 6 माह का विद्युत बिल एक साथ जारी कर दिया गया है, जिसके कारण कुल खपत पर जो दर न्यूनतम यूनिट दाम पर लगनी थी वो विभाग द्वारा अधिकतम यूनिट दाम पर लगा दिया गया। महोदय मैने पिछले 6 माह के अदा किये गये बिल का जब आंकलन किया तो मेरी बिजली की कुल खपत 6 माह के एवरेज के हिसाब से लगभग 400 यूनिट प्रतिमाह आ रही है जबकि विद्युत विभाग के मौजूदा 6 महीनों में एक साथ जारी किये गये बिल में बिजली खपत यूनिट का एवरेज 700 यूनिट प्रतिमाह, यानि लगभग प्रतिमाह लगभग दोगुने दर्शाया गया है जो बिल्कुल ही निराधार है और इस वजह से न सिर्फ मुझे दोगुने बिल की मार झेलनी पड़ रही है बल्कि साथ 6 माह का बिल एक साथ जारी होने से जो न्यूनतम दर अदा करनी चाहिए थी वो भी अधिकतम दर की दोहरी मार पड़ रही है जो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। यदि उक्त बिल प्रत्येक माह नियमित रूप से जारी किया जाता है तो प्रार्थी की मासिक खपत के आधार पर अलग–अलग श्रेणियों में बिल का आकलन होता और प्रार्थी को 400 यूनिट से अधिक की उच्च दरों का अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ता। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर पॉच माह की विद्युत खपत का मासिक आधार पर पृथक–पृथक आकलन कर बिल की पुनः गणना कराई जाए तथा संशोधित बिल जारी करने की कृपा की जाए, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक अर्थिक भार से राहत मिल सके। प्रार्थी को आशा है कि न्यायोचित आधार पर इस प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थी को राहत प्रदान की जाएगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 144 दिनांकित 11/05/2026 से मंच को आख्या से अवगत कराया गया है कि " *उपभोक्ता श्री दर्शन डोभाल, 227, लेन नं0 11, विजय पार्क एक्सटेंशन,*

देहरादून के संयोजन पर दि0 09.05.2026 को चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है, चैक मीटर फाइनल होने पर सीलिंग प्रमाण पत्र एवं आख्या मा0 मंच को प्रस्तुत कर दी जायेगी।"

उक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 189 दिनांकित 25/05/2026 से मंच को आख्या से अवगत कराया गया है कि *"उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 144/वि.वि.उ. ख.व.वि./उ.शि.नि.मं. दि011.05.2026 के तारतम्य में अवगत कराना है कि मा0 मंच के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या 131 दि0 06.05.2026 से सहायक अभियन्ता–मीटर, परीक्षण शाला दक्षिण, देहरादून को उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर स्थापित करने हेतु कहा गया था। उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर दि0 09.05.2026 को स्थापित किया गया था एवं दि0 23.05.2026 को फाइनल किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के मीटर सं0 96250183 में चैक मीटर अवधि में 276 यूनिट खपत दर्ज हुई तथा चैक मीटर संख्या U406916 में समान अवधि में 276 यूनिट खपत दर्ज हुई इस प्रकार उपभोक्ता का मीटर तेज चलना नहीं पाया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकयती पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा लगभग 06 माह तक नियमित विद्युत बिल नहीं दिया गया तथा तत्पश्चात् एकमुश्त बिल जारी किया गया। परिवादी का आरोप है कि एक साथ बिल जारी किऐ जाने के कारण उनकी विद्युत खपत को उच्च्य टौरिफ श्रेणी में दर्शाते हुए अत्यधिक विद्युत बिल बनाकर उन्हें प्रेषित किया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि पिछले 6 माह के अदा किये गये बिलों का जब

आंकलन किया तो उनकी बिजली की कुल खपत 6 माह के एवरेज के हिसाब से लगभग 400 यूनिट प्रतिमाह आ रही है जबकि विद्युत विभाग के मौजूदा 6 महीनों में एक साथ जारी किये गये बिल में बिजली खपत का एवरेज 700 यूनिट प्रतिमाह, यानि लगभग प्रतिमाह लगभग दोगुने दर्शाया गया है जो बिल्कुल ही निराधार है।

मंच द्वारा परिवादी की शिकयत के क्रम में विपक्षी की आख्या अवलोकन किया गया एवं पाया कि विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 23.04.2026 को मंच द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में उपभोक्ता के विद्युत मीटर की शुद्धता जॉच हेतु उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 09.05.2026 को चैक मीटर स्थापित किया गया एवं उक्त चैक मीटर को दिनांक 23.05.2026 को फाईनल किया गया। जॉच के दौरान स्थापित मीटर निर्धारित तकनीकि मानकों के अनुरूप सही पाया गया तथा मीटर में कोई त्रृटि नही पाई गई जिससे परिवादी की विद्युत बिलिंग प्रभावित होती हो।

मंच द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम में यह भी पाया कि विवादित अवधि की बिलिग नियामानुसार प्रति दिवस औसत खपत के आधार पर की गई है तथा परिवादी पर किसी प्रकार का अतरिक्त अथवा अनधिकृत धनराशि विद्युत बिल के रूप में आरोपित नहीं किया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा विवादित अवधि की खपत को संबंधित बिलिंग अवधि के दिनों के अनुसार विभाजित करते हुए प्रति दिवस खपत के आधार पर बिलिंग की गई है। मंच को कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि केवल एकमुश्त बिल जारी होने के कारण परिवादी को गलत अथवा अधिक टैरिफ का बिल प्रेषित किया गया एवं चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

<u>प्रकीर्ण परिवाद सं0 01/2026</u>

श्री भूपेन्द्र सिंह, **परिवादी**
निवासी– लेन नं0–12 नेहरू ग्राम,
कृष्णा विहार, मोखमपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम **दिनांक: 19.05.2026**
श्री रजनीश माथुर **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण **उपभोक्ता सदस्य**

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत प्रकीर्ण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 124/2025 श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी– लेन नं0 12, नेहरू ग्राम, कृष्णा विहार, मोहखमपुर, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (रायपुर) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 10.02.2026 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

मंच द्वारा वाद संख्या 124/2025 में निम्न आदेश पारित किये गये थे:–

"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के कार्य निष्पादन के मानक विनियम् 2022 के SCHEDULE –III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default) के बिन्दु 4(1) "Complaints lodged for accuracy test of Meter के तहत् 91 दिनों (121–30) के विलंब हेतु 91×50 = 4550रूपये क्षतिपूर्ति प्रदान करें"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9754,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 6251 दिनांकित 14.05.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को रू0 4550.00 की क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान चैक संख्या 632367 दिनांक 30.04.2026 के माध्यम से कर दिया गया है। उपरोक्त चैक उपभोक्ता को दिनांक 02.05.2026 को हस्तगत करा दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 10.02.2026 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 10.02.2026 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय **प्राप्त नहीं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

19/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 19/05
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 ONL 03/2026

श्री सौरभ बिष्ट परिवादी
निवासी– लेन न0–04, आर्शीवाद एन्क्लेव
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.05.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रत्येक महीन गलत विद्युत बिल निर्गत किये जाने के संबध मे योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि "हर महीने गलत विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे है। मीटर रीडिंग गलत होने के कारण इस महीने रू0 10000 का बिल आया है।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 188 दिनांकित 25/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *उपभोक्ता श्री सौरभ बिष्ट, निवासी लेन नं0 4, आर्शीवाद एन्क्लेव, देहरादून द्वार गलत मीटर रीडिंग का बिल होने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता श्री सौरभ बिष्ट के मीटर की रीडिंग त्रुटिवश गलत नोट हो गई थी जिससे बिल गलत बन गया था,*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

गया था, जिसे वास्तविक रीडिंग के आधार पर ठीक कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उपभोक्ता का रिवाईज्ड बिल संलग्न किया जा रहा है।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम मे विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री सौरभ बिष्ट के मीटर की रीडिंग त्रुटिवश गलत नोट हो गई थी जिससे बिल गलत बन गया था, जिसे वास्तविक रीडिंग के आधार पर ठीक कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 05/2026

श्रीमती अर्चना गोयल,
निवासी– तपोवन रोड,
देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम दिनांक: 23.05.2026

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Temporary Connection.

The Complainant submits and prays as under:-

"I didn't expected this from UPCL. I have applied temporary Connection on 17th February 2026 and today its 7th april 2026 there is no communication from upcl they have not released my load yet."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 598, दिनांकित 18/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा उक्त अस्थाई संयोजन के सापेक्ष दिनांक 15.04.2026 को वांछित धनराशि जमा करा दी गई थी उसके उपरान्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री सुनील कुमार बिष्ट द्वारा दिनांक 15.04.2026 को ही उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन को अवमुक्त कर दिया गया था।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता द्वारा उक्त अस्थाई संयोजन के सापेक्ष

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 15.04.2026 को वांछित धनराशि जमा करा दी गई थी जिस के उपरान्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री सुनील कुमार बिष्ट द्वारा दिनांक 15.04.2026 को ही उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन को अवमुक्त कर दिया गया था।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण उक्त संयोजन निर्गत कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/- 23-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

Sd/- 23/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

Sd/- 23/05
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

परिवाद सं0 07/2026

श्रीमती मीरा तोमर — परिवादी
निवासी– ग्राम पो0 सहसपुर
नियर पंचायत भवन, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.05.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" हमारा बिल काफी ज्यादा आया है, जो कि पिछले कई वर्षो में आए बिलों से दोगुने से भी ज्यादा है। हमारे यहाँ पिछले कई महीनो में मीटर की रीडिंग भी नहीं ली गई। वर्तमान में भी जो रीडर ने रीडिंग लिखी वह 22 मार्च में 15720 न होकर 16930 थी, जिससे बिल और भी ज्यादा है। हमारे यहां बिजली खपत को देखते हुए यह बहुत ज्यादा बिल है। जिसे हम देने में असमर्थ है। अतः आपसे प्रार्थाना है कि आप इसमें सज्ञान लेते हुए बिल संशोधन का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2917 दिनांकित 22/04/2026 से मंच को निम्नलिखित बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेण kh STN-10/Other Domestic Load Upto 4KW 08 जून 2017 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN11611456008 है।*
2. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 26.01.2026 से 22.03.2026 अर्थात् 56 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में 815 यूनिट (815/56 = 14.55 यूनिट प्रतिदिन) का रू0 5523.00 का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उनके अनुसार अत्याधिक राशि का बिल है। कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से मंच के संज्ञान में यह भी आया कि परिवादी को पुनः दिनांक 23.03.2026 से 07.05.2026 अर्थात् 46 दिनो के एक विद्युत बिल चक्र में 1451 यूनिट जो कि 31.54 यूनिट प्रतिदिन होती है का कुल रू0 14344.00 का बिल प्रेषित किया गया।

मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 23.04.2026 को विपक्षी को परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की वास्तविक रीडिंग मंच में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा दिनांक 07.05.2026 को रीडिंग स्लिप के माध्यम से परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग मंच में प्रस्तुत की गई, रीडिंग स्लिप के अनुसार दिनांक 06.05.2026 को परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 17165 KWH थी एवं कज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार परिवादी के विद्युत मापक की दिनांक 07.05.2026 की रीडिंग 17171 KWH थी, जिससे स्पष्ट है कि परिवाद की वास्तविक विद्युत खपत 6 यूनिट प्रतिदिन की है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को अत्याधिक यूनिट के बिल निर्गत किये जा रहे थे।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस के क्रम में विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

उपरोक्त के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी को माह मार्च 2026 से मई 2026 मे प्रेषित विद्युत बीजको को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व की तीन बिल चक्रो 01/2026, 11/2025 एवं 09/2025 की औसत खपत 435 यूनिट (296+308+702/3=435.33 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह मार्च 2026 से मई 2026 में प्रेषित विद्युत बीजको को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व की तीन बिल चक्रों 01/2026, 11/2025 एवं 09/2025 की औसत खपत 435 यूनिट (296+308+702/3=435.33 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन,** 80 बसंत विहार, **देहरादून में** अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/- 27-5-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/05/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/05/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य